नवम्बर 2016

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

प्रबंध सम्पादक
संतोष मिश्र

समन्वय
मंगला प्रसाद मिश्रा

परामर्श
शिवानी वर्मा
डॉ. विनोद यादव

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

कम्पोजिंग
अल्पना राठौर

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में

विशेष : मुख्यमंत्री के ग्यारह साल-संवेदना और सरलता से शौर्य के शिखर तक 3

आयोजन : मध्यप्रदेश स्थापना दिवस - प्रदेश के नाम मुख्यमंत्री का संदेश 8

आयोजन : ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट - ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जुड़ेगी देश की... 10

विशेष लेख : ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट - अब मध्यप्रदेश होगा मेक इन इंडिया का प्रवेश द्वार 14

विशेष : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की स्थापना में प्रदेश देश में छठवें स्थान पर 16

आयोजन : शौर्य स्मारक लोकार्पण - भारतीय सेना सेवा की सबसे बड़ी मिसाल 18

ग्रामोद्योग : विशेष लेख -गांधीवादी अवधारणा पर मध्यप्रदेश के ग्रामोद्योग 20

ग्राम शिल्प : लेख - शिल्प हैं संस्कृति का प्रवाह 22

ग्रामोद्योग - मध्यप्रदेश में कुटीर और ग्रामोद्योग ग्राम विकास की आधारभूत पहल 25

ग्रामोद्योग : हथकरघा - हथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय 28

ग्रामोद्योग : खादी - मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड 31

ग्रामोद्योग : रेशम उद्योग - सृजन से स्वरोजगार तक 33

ग्रामोद्योग : माटीकला - मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड 36

ग्रामोद्योग : हस्तशिल्प - संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम 39

सरल मेला : रीजनल सरस मेला-2016 41

ग्राम विकास से समृद्ध होता मध्यप्रदेश

प्रिय पाठको,

मध्यप्रदेश देश का हृदय प्रदेश है। प्रदेश की समृद्धि से राष्ट्र की समृद्धि और विकास का सीधा संबंध है। सामाजिक ताने-बाने का केन्द्र गाँव हैं। यदि गाँव शिक्षित हैं, स्वच्छ हैं, समृद्ध हैं तो राष्ट्र स्वस्थ और समृद्ध होगा।

आजादी के बाद यद्यपि देश ने विकास के बहुत आयाम तय किये हैं। अनेक योजनाएँ बनीं उनके सुपरिणाम भी हमारे सामने हैं, फिर भी कहीं कुछ चूक ऐसी हुई जिसमें हमारे गाँव शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इन तीन चीजों में पिछड़ते चले गये। शिक्षा और रोजगार के लिये गाँव के युवा शहरों की ओर दौड़ते रहे तो छोटी-छोटी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए भी शहरों की ओर ही देखा जाता रहा। इससे शहरों पर दबाव बना। अतिरिक्त बढ़ते शहरीकरण ने बेरोजगारी, गरीबी, असमानता की विसंगतियों को जन्म दिया। इससे सामाजिक विकास का ताना-बाना बिगड़ने लगा, एक असंतुलन पैदा हो गया।

मध्यप्रदेश में इन तमाम परिस्थितियों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने अपने कार्यकाल के आरंभ में जहाँ गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया वहीं अब वे गांवों में रोजगार उपलब्ध कराने के अभियान में संलग्न हैं। गाँव के युवाओं में कौशल विकास स्थानीय निवासियों को रोजगार के लिए ऋण और निवेशकों के समागम में कृषि और खाद्य आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन उनकी योजना का हिस्सा है। इसीलिए 'मेक इन मध्यप्रदेश' आह्वान के साथ आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पूर्व भोपाल में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिये सम्मेलन का आयोजन किया गया था। गाँव-गाँव में स्थानीय उद्योगों की स्थापना के लिए कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा अनेक योजनाएं व कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गाँव के बच्चों को गाँव में शिक्षा और गाँव में ही रोजगार मुख्यमंत्री जी की यह योजना यदि सफल होती है तो न केवल मध्यप्रदेश के गाँव समृद्ध होंगे बल्कि नगरों की ओर आने वाली आबादी का पलायन भी रुकेगा।

वर्तमान में ग्रामोद्योग की मूलभावना को रखते हुए तकनीकी सहयोग से बेहतर करने की आवश्यकता है साथ ही गांवों में कुटीर उद्योग करने वाले शिल्पी स्वयं सीधी बिक्री करें तो यह लाभ का व्यवसाय बन सकता है।

ग्रामोद्योग पर केन्द्रित यह अंक निश्चित ही आपके लिए मार्गदर्शक और लाभकारी होगा। इस अंक में बस इतना ही।

हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।

(संतोष मिश्र)
आयुक्त, पंचायत राज

मुख्यमंत्री के ग्यारह साल
संवेदना और सरलता से शौर्य के शिखर तक

श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के ग्यारह साल पूरे करने जा रहे हैं। मध्यप्रदेश के राजनैतिक इतिहास में यह कार्य अवधि एक कीर्तिमान है। इससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री लगातार ग्यारह सालों तक मुख्यमंत्री नहीं रहा श्री शिवराज सिंह चौहान की यह कार्य-अवधि हर लिहाज से कीर्तिमान रही। कार्य-अवधि से भी, कार्यशैली से भी और कार्य उपलब्धि से भी। उन्होंने इतनी बड़ी लाइन खींच दी है कि भविष्य में इससे आगे निकलना तो दूर इसकी बराबरी करना भी मुश्किल है। योजनाएं, संपर्क, यात्राएं, मेल-मुलाकात, नीतियां, निर्णय और प्रदेश की उपलब्धियां सबकुछ अद्वितीय हैं। इन ग्यारह सालों में उनका पैर, उनका हेलीकाप्टर और उनकी यात्राएं तब ही रुकीं जब वे बीमार रहे अथवा अज्ञातवास में रहकर फाइलें निबटाने में जुटे रहे। नीतियां और निर्णय भी ऐसे जो आज तक किसी को नहीं सूझे।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने 29 नवंबर 2005 को मध्यप्रदेश की सत्ता संभाली थी। वे दिन बहुत असमंजस और अनिश्चितता से भरे थे। राजनैतिक, प्रशासनिक सामाजिक और सभी प्रकार की असहजता की स्थिति थी। संख्या बल की दृष्टि से भाजपा के पास लगभग तीन चौथाई विधायकों का बल था। फिर भी आंतरिक तौर पर इतना तनाव आ गया था कि इस बात की गारंटी नहीं थी कि जो सुबह भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के साथ शुरू हुई है वह शाम भी क्या इसी रूप में आयेगी। इन्हीं परिस्थितियों में भाजपा के तत्कालीन संगठन महामंत्री श्री कप्तान सिंह सोलंकी ने पार्टी आलाकमान से चर्चा करके शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे बढ़ाया। विकल्प के रूप में जितने भी नाम सामने आए उन सबमें उम्मीद केवल शिवराज सिंह चौहान से थी कि वे समाज, सरकार और कार्यकर्ता तीनों में समन्वय बना लेंगे।

श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के रूप में अपनी कार्यशैली, बोलचाल, व्यवहार, नीतियां, योजनाओं और सरकार के निर्णयों में नवाचार लाए हैं। मध्यप्रदेश ने अपनी सकल घरेलू उत्पाद की 11.8 प्रतिशत और कृषि विकास की सर्वाधिक 24.99 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने के साथ-साथ औद्योगिक तरक्की की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं।

जिस प्रकार प्रबल बहुमत के बावजूद पार्टी के भीतर अनेक संशयात्मक प्रश्न उठ रहे थे उसी प्रकार प्रचुर संभावना, अवसर और प्राकृतिक संपदा के बावजूद मध्यप्रदेश की गिनती बीमारू राज्यों में होती थी भला कोई कल्पना कर सकता है कि जिस प्रांत में हीरे की खदानें हों, भरपूर जंगल हों, बेशुमार ग्रेनाइट पत्थर और चूना धरती में दबा हो वह प्रांत भी बीमारू की श्रेणी में है जिसे देश का हृदय प्रदेश कहा जाता है और जिसकी

सभ्यता के सूत्र न केवल प्रागैतिहासिक काल से जुड़ते हैं बल्कि अनेक सभ्यताओं के अवशेष सुरक्षित दिखाई देती हैं। जिस प्रांत में डायनासोर के जीवाश्म मिले हों, जिसमें गंगा से भी प्राचीन सदानीरा नदियां और हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रेणियां हों, वह प्रदेश एकदम अविकसित और उपेक्षित अवस्था में बीमारू राज्य का कलंक माथे पर लगाए जी रहा हो।

मध्यप्रदेश पर यह कलंक उन दिनों तक था जब शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शथथ ली थी। शपथ लेने के बाद उन्होंने कई मोर्चे पर एक साथ काम किया। सबसे पहले उन्होंने अपने वरिष्ठ नेताओं से विश्वास और आशीर्वाद लिया। सबके आशीर्वाद और सबको साथ लेकर चलने की भावना के कारण उन्होंने अपने पहले मंत्रीमंडल में अपनी पसंद के किसी विधायक को मंत्री बनाने की सिफारिश नहीं की। वे पहली बार 2005 में एक ऐसी टीम के कप्तान बने जिसमें सब प्रकार के लोग थे। उनके पहले कदम में अवरोध का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि विधायक दल की जिस बैठक में उन्हें नेता चुना गया। उस बैठक में हंगामा हुआ और कुछ विधायकों ने बाकायदा बहिष्कार किया। बाहर आकर धरना दिया। इस घटनाक्रम से यद्यपि विधायक दल के बहुमत पर तो प्रभाव नहीं पड़ा लेकिन कार्यकर्ताओं के मन में, प्रशासन के बीच अनेक प्रकार के आश्चर्य और असमंजस के भाव बने। इन तमाम भावों को, आरोह-अवरोह की आवाजों को सामान्य बनाने की चुनौती उनके सामने थी।

प्रवाह के अनुकूल तो सब तैर लेते हैं लेकिन उनसे इतिहास नहीं बनता। इतिहास उन लोगों से बनता है जो प्रवाह के विपरीत अपनी मंजिलें पाया करते हैं। शिवराज उन्हीं में से एक हैं। उनके सामने इन विषम सी दिखने वाली परिस्थितियों के बीच अपने उन सपने को पूरा करना था जो बचपन से उनकी आंखों में था। वह सपना था मध्यप्रदेश को विकास के शिखर पर ले जाना, मध्यप्रदेश के गांवों में प्रगति की वह रोशनी फैलाना जो देश के सीमित नगरों तक ही आलोकित हो रही थी वह भी उस बीमारू प्रांत में जो सड़क, बिजली, पानी, जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगा हुआ था।

शिवराज ने आते ही विकास नीतियां बनाने की मानसिकता बदली। उन्होंने

सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाने और पारदर्शी प्रशासन देने के लिए भी किया जा सकता है। इसे साबित करने की सफल कोशिश की मध्यप्रदेश ने। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोक सेवाओं को लोगों को पहुँचाने, पारदर्शिता बढ़ाने आदि नवाचारों में देश के राज्यों में मध्यप्रदेश का प्रमुख स्थान है। ऑनलाइन सेवाओं के ट्रांजेक्शन में मध्यप्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर है। प्रदेश औद्योगिक विकास के संसाधनों से संपन्न है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान औद्योगिक विकास को लेकर उत्साह से भरे हैं इसका विजन उनके पास है। इस विजन को साकार करने के लिए रणनीतिक प्रयास किये जा रहे हैं।

योजनाओं के आधारभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया बल्कि उनके प्रारूप और क्रियान्वयन के तरीके में व्यवहारिक पक्ष जोड़ा। सामान्य जनता एवं सरकार के बीच विश्वास बढ़ाया। इसमें उन्हें कोई कठिनाई नहीं आई। हां यह बात जरूर है कि सरकार पर कुछ वित्तीय भार बढ़ा और कर्ज एक लाख करोड़ का आंकड़ा छू गया। लेकिन इसमें ज्यादा चिंता की बात इसलिए नहीं है कि बिना कोई नया टैक्स लगाए जनहित में कार्य हुए हैं। जननी सुरक्षा योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, बुजुर्गों को तीर्थयात्रा आदि ऐसी कई योजनाएं लागू कीं जिससे विकास की नई इबारत लिखी गई।

सरकार के फैसलों में जनता की पसंद होती है, जन भागीदारी होती है। मध्यप्रदेश देश में पहला ऐसा प्रांत है जिसने प्रशासन में जनता की निगरानी का काम शुरू किया और जनता के काम समय पर हों इसकी प्रक्रिया शुरू की। वे स्वयं प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर ही नहीं गए बल्कि उन्होंने विभिन्न वर्गों, समूहों और क्षेत्रों को अपने निवास पर आमंत्रित कर पंचायतें कीं। इसमें घरों में काम करने वाली बाईयां, कोटवार, गांवों में जूता आदि बनाने वाले शिल्पी, किसान आदि ऐसे समूह थे जो अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कभी मुख्यमंत्री निवास के भीतर भोजन कर सकेंगे। प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न कक्षाओं और विषयों में श्रेष्ठतम अंक लाने वाले विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री निवास में सम्मानित किया। प्रदेश में सामाजिक समरसता और सर्वधर्म सम्भाव के लिए मुख्यमंत्री निवास में जहां होली, दीवाली, जन्माष्टमी के आयोजन होते हैं वहीं ईद, क्षमावाणी, प्रकाशपर्व तथा क्रिसमस भी मनाया जाता है।

शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के रूप में अपनी कार्यशैली, बोलचाल, व्यवहार, नीतियां, योजनाओं और सरकार के निर्णयों में नवाचार लाए हैं।

नागरिकों की शिकायतों के निराकरण में तेजी लाने के लिए जुलाई 2014 से सीएम हेल्पलाइन 181 शुरू की गई है। इसके माध्यम से लोग न केवल अपनी समस्याओं का समाधान करवा रहे हैं बल्कि योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं। हेल्पलाइन शुरू होने के मात्र 11 माह में ही शासन की योजनाओं एवं शिकायतों के संबंध में आए 93 प्रतिशत कॉलों का निराकरण कर दिया गया। कॉल सेंटर प्रतिदिन सुबह 9 से रात्रि 11 बजे तक काम करता है। सेंटर में औसतन रोजाना 35 हजार कॉल आते हैं।

नीतियों और कार्यक्रमों का विश्लेषण तथा उनके प्रभावों का आकलन करने के

लिए राज्य सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान की न बदलने वाले कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का भी इसमें प्रावधान है। इस कानून पर प्रभावी अमल और संबंधित योजनाओं के कुशल संचालन के लिए एक अलग लोक सेवा प्रबंधन विभाग बनाया गया है। लोक सेवा गारंटी योजना के लागू होने से लोगों के काम समय पर होने लगे हैं।

यह एक आम शिकायत रही है कि अपनी समस्याओं के संबंध में लोग बड़े अफसरों से नहीं मिल पाते। लोग अपनी तकलीफ बड़े अफसरों को सीधे बता सकें इसके लिए प्रदेश में 'जन-सुनवाई' व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत सभी कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी हर मंगलवार को जन-सुनवाई करते हैं। इससे बहुत बड़ी तादाद में जन-समस्याओं का निराकरण हुआ है। इसका एक दिलचस्प और सुखद तथ्य यह प्रकाश में आया है कि जन-सुनवाई व्यवस्था लागू होने के बाद मानव अधिकार आयोग में प्राप्त होने वाली शिकायतों में कमी आई है।

सरकारी दफ्तरों में लोगों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने बहुत प्रभावी कदम उठाए हैं। अनेक कामों के लिए दस्तावेज नोटरी करवाने और विद्यार्थियों को दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाने की व्यवस्था समाप्त कर दी है। उन्हें सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा दी गई है। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बीपीएल राशन कार्ड, रोजगार कार्यालय में पंजीयन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, छात्रवृत्ति, बिजली कनेक्शन, निर्माण श्रमिक पंजीयन आदि के कार्यों में शपथ पत्र लगाने की जरूरत नहीं है।

योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला एवं खण्ड स्तर पर टॉस्क फोर्स का गठन किया गया है। योजना में बालिकाओं का जन्म

पंजीकरण करते हुए गुड्डा-गुड्डी बोर्ड के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना को सपोर्ट करने के लिए लाडो, लाड़ली लक्ष्मी, शौर्यादल, स्वागतम लक्ष्मी और उषा किरण योजना को अभियान के तौर पर चलाया जा रहा है। इससे संबंधित जिलों के लिंगानुपात में निरंतर सुधार हो रहा है। योजना के प्रचार-प्रसार के लिए मोबाइल वैन के जरिये विषय संबंधित फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। एनएसएस कैम्प में जागरूकता शिविर लगाया जा रहा है।

प्रदेश के युवाओं को खुद के रोजगार-धंधे लगाने में मदद के लिए मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना शुरू की गई। योजना में 25 लाख रुपए तक की बैंक ऋण गारंटी दी जाती है। योजना में बैंक को नियमित ऋण की किस्तों का नियमित भुगतान किए जाने पर राज्य सरकार द्वारा 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 75 हजार रुपए प्रतिवर्ष है। योजना में 50 हजार तक की परियोजनाओं में 20 प्रतिशत मार्जिन मनी सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है। मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना में 25 लाख रुपए तक बैंक ऋण की गारंटी दी जाती है।

लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप मुख्यमंत्री ने शासन द्वारा लागू की गई तथा लागू की जाने वाली योजनाओं में संबंधित वर्ग के लोगों की भागीदारी के लिए अपने शासकीय निवास पर 'पंचायतें' आयोजित कीं। इन पंचायतों में प्रदेशभर में संबंधित वर्ग के लोग आकर मुख्यमंत्री से सीधा संवाद करते हैं। वे योजनाओं में संशोधन भी सुझाते हैं। इस संवाद में सामने आने वाले सुझावों का परीक्षण कर उन्हें योजना में शामिल किया जाता है। 'लाड़ली लक्ष्मी' जैसी अद्‌भुत और लोकप्रिय योजना मुख्यमंत्री के साथ लोगों के सीधे संवाद की ही उपज है।

ई-गवर्नेन्स और आईटी दक्ष मानव संसाधन के लिए शासकीय विभागों में कार्यरत नियमित शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों में से आईटी के क्षेत्र में शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं रुचि रखने वाले अधिकारियों को चिन्हांकित कर उन्हें गहन प्रशिक्षण देकर वर्चुअल सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग का गठन किया है। पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से नई पहल साबित हुई। पुलिस के कर्तव्यों को निभाते हुए यदि जवान बीमार हो जाएं या उनके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो तो यह उन्हें भरोसा दिलाएगी कि संकट में घबराने की जरूरत नहीं है।

प्रदेश में पिछले 10 साल में पर्यटन पर जमकर काम हुआ है। पर्यटकों के आकर्षण के सभी रंग को समेटे मध्यप्रदेश पहले पर्यटकीय अधोसंरचना और आवाजाही की बेहतर सुविधाओं में कमी के चलते अपनी इस संपदा का पूरा दोहन नहीं कर पाया था। आज स्थिति यह है कि मध्यप्रदेश देश ही नहीं विश्व पर्यटन मानचित्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। एक ऐसी पहचान, जिसमें महाकाल की नगरी उज्जैन, आचार्य वराह मिहिर की विरासत, सतपुड़ा और विंध्याचल जैसे हिमालय से प्राचीन पहाड़, जीवन-रेखा नर्मदा नदी, चंदेरी और बाग के हस्तशिल्प, कान्हा और बांधवगढ़, खजुराहो और सांची जैसी विश्व धरोहर, पन्ना के हीरे, विविधवर्णी जनजातीय समूह, चंदेरी और माहेश्वरी के शिल्प, बाजबहादुर और रूपमती की प्रणय गाथा के साक्षी माण्डू, मृगनयनी की रागिनी तोड़ी से गुंजित ग्वालियर, देहराग की कालजयी पाषण धरोहर, खजुराहो के मंदिर उल्लेखनीय हैं।

मध्यप्रदेश ने अपनी सकल घरेलू उत्पाद की 11.08 प्रतिशत और कृषि विकास की सर्वाधिक 24.99 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने के साथ-साथ औद्योगिक तरक्की की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश औद्योगिक विकास के संसाधनों से संपन्न है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान औद्योगिक विकास को लेकर उत्साह से भरे हैं। इसका विजन उनके पास है। इस विजन को साकार करने के लिए रणनीतिक प्रयास किए गए हैं। निवेशकों के हित में नियम और नीतियों में बदलाव किया गया है। इंफ्रॉस्ट्रक्चर विकास निवेश का ठोस आधार है। इसी दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में

इन्वेस्टर्स फ्रेण्डली माहौल बनाया गया है। इसी का असर है कि देश में निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा राज्य मध्यप्रदेश बन चुका है।

प्रदेश को आई टी, ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में कई राष्ट्रीय अवार्ड मिले। इनमें स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस अवार्ड 2013, सीएसआई अवार्ड फॉर कॉम्पलेक्स 2013, सीएसआई निहिलेंट अवार्ड 2009 से 2013 तक लगातार, वेब रत्न अवार्ड 2009-10 ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2009-10, नेसकॉम सीएनबीसी टीवी 18 अवार्ड 2009, मंबन अवार्ड दक्षिण एशिया 2009, डीएआरपीजी, सिल्वर आइकन अवार्ड 2008 खास तौर पर शामिल।

आईटी नीति से प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी उद्योग में निवेश को आकर्षित किया जा रहा है। आईटी के क्षेत्र में कौशल विकास और बेहतरीन बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर विशेष जोर है। बैंगलुरू, हैदराबाद, पुणे और मुंबई के बाद अब आईटी कंपनियों की पहली पसंद मध्यप्रदेश बन चुका है। आईटी के क्षेत्र में निवेश पर यहां भूमि, स्टांप शुल्क में रियायत, विशिष्ट परियोजना लागत की प्रतिपूर्ति, भूमि के उपयोग और वैधानिक नियमों में छूट है।

प्रदेश में सीएससी, इंपेट्स, नेटलिंक, श्योरविन, एजिस, एमफेसिस, टाटा कंसल्टेंसी, इंफोसिस, हंका, एक्सट्रानेट, अन्फोबीन्स, सी-नेट, फ्रस्टसोर्स, ओसवाल कंप्यूटर्स एंड कंसल्टेंट सिल्क टेक्नोलॉजी, ईहेरेक्स सागासिटी स्टेट अप इंफोटेक, न्यूटेक प्यूजन, साइबर फ्यूचरेस्टिक्स जैसी बड़ी कंपनियों की आमद हो चुकी है।

तीन आईटी पार्क इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पलेक्स इंदौर में खंडवा रोड और सुपर कॉरिडोर पर तथा ग्वालियर में गंगा मालनपुर में स्थापित किए गए हैं। 12 आईटीएसजेड को मंजूरी दी गई है। सुपर कॉरिडोर पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस को 500 करोड़ की लागत से दो चरण में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैंपस का काम चल रहा है।

● **रमेश शर्मा**
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार व स्तंभकार हैं)

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस

प्रदेश के नाम मुख्यमंत्री का संदेश

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश के 61वें स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि अब मध्यप्रदेश की पहचान सबसे तेजी से बढ़ते प्रदेश के रूप में बन गई है।

देश का दिल होने के नाते मध्यप्रदेश भविष्य में भारत के विकास तथा अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है। उन्होंने नागरिकों को आत्म-विश्वास के साथ आगे बढ़ने और प्रदेश का गौरव बढ़ाने के लिये बधाई देते हुए कहा कि अगला दशक मध्यप्रदेश का है।

श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश ने अपने गौरव, अपनी विरासत और अपने इतिहास को संजोये हुए विकास के कई आयाम स्थापित किये हैं। साथ ही अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक विरासत में देश की विविधता और बहुलता को आत्मसात किया है।

प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का उत्साह नागरिकों के सहयोग से दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों की भागीदारी के बिना सरकारों की सार्थकता नहीं है। हर नागरिक को सरकार की निर्णय प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया गया है। अंत्योदय के साथ समग्र विकास और विकास यात्रा में हर नागरिक की भागीदारी की रणनीति से लोगों में स्वयं आगे बढ़ने की तीव्र ललक जगी है। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रगति तभी सार्थक है जब हर नागरिक में आगे बढ़ने का आत्म-विश्वास हो।

मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद किसानों द्वारा कृषि उत्पादन में साल दर साल बढ़ोत्तरी करने की सराहना करते हुए कहा कि किसानों ने प्रदेश को कृषि उत्पादन में देश में लगातार अग्रणी बनाये रखा। किसानों के श्रम एवं सकारात्मक सोच का ही परिणाम है कि जहाँ एक ओर मालवा, छिंदवाड़ा और बैतूल क्षेत्र संतरा उत्पादन के हब के रूप में उभर रहा है, वहीं दूसरी ओर मंडला और डिंडौरी जिले जैविक कृषि के क्षेत्र में देश में अग्रणी बने हैं।

औद्योगिक विकास को गति - मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादों का स्थानीय रूप से मूल्य संवर्धन करते हुए खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों के लिए 6 फूड पार्क की स्थापना की गई है। इंदौर में हाल में आयोजित ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि समिट में 5 लाख 60 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर निर्मित करने में प्रदेश सफल रहा है। बड़े उद्योगों के साथ-साथ छोटे और मध्यम उद्योगों को भी समान रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। युवाओं को कौशलयुक्त बनाने के लिए राज्य कौशल मिशन लागू किया गया है। भोपाल में सिंगापुर के सहयोग से 10 हजार की क्षमता का ग्लोबल वोकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट स्थापित किया जायेगा।

हर भूमिहीन को जमीन - श्री चौहान ने

कहा कि सभी आवासहीन परिवारों को 2022 तक आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। लगभग 13 लाख आवासहीनों के लिए मकान बनाये जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 8 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगे। हर भूमिहीन को जमीन का एक खण्ड अवश्य आवंटित किया जायेगा। उन्हें मकान बनाकर दिया जायेगा या मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जायेगी।

2000 **नवीन उप-स्वास्थ्य केन्द्र शीघ्र -** प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार पर तेजी से काम चल रहा है। सभी जिला अस्पतालों में डायलेसिस और कीमोथैरेपी की व्यवस्था की गयी है। सभी अस्पतालों में निःशुल्क दवाओं और पैथालॉजी जाँचों की व्यवस्था की गयी है। शीघ्र 2000 नवीन उप-स्वास्थ्य केन्द्र खुलेंगे। महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि शासकीय सेवाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिये 1 लाख 45 हजार ग्रामीण महिला स्व-सहायता समूहों को आय के स्रोतों से जोड़ा गया है।

शिक्षा में गुणात्मक सुधार - शिक्षा के विस्तार और गुणात्मक सुधारों को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष अनुसूचित जनजाति वर्ग के 21 छात्रों का चयन आईआईटी एवं 51 छात्रों का चयन मेडिकल की पढ़ाई के लिए हुआ। हजारों की संख्या में वंचित गरीब परिवारों के छात्र अब न केवल राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिये चयनित हो रहे हैं बल्कि बड़ी-बड़ी कंपनियों के बड़े पदों पर आसीन होकर प्रदेश का मान बढ़ा रहे हैं। विद्यार्थियों की फीस भी सरकार भर रही है।

स्वच्छता की पाँच वर्षीय कार्ययोजना- मध्यप्रदेश को खुले में शौच की बुराई से मुक्त करवाने के संकल्पित प्रयासों की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में आगामी 5 वर्ष के लिए 5209 करोड़ की स्वच्छता कार्य-योजना में व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

जैसे कार्य करवाये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी वर्गों के गरीबों का कल्याण और युवाओं के लिए रोजगार सृजन सरकार का महत्वपूर्ण सरोकार रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा और खाद्यान्न सुरक्षा की दिशा में अच्छा काम हुआ है। यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी।

सुशासन की व्यापक सराहना - सुशासन के क्षेत्र में उपलब्धियों के संबंध में श्री चौहान ने कहा कि इन्हें व्यापक सराहना मिली है। सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। अभी तक 23 विभाग की 164 सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया गया है। सी.एम. हेल्पलाइन से भी आम लोगों की समस्याओं के समाधान में काफी गति आयी है।

शहीदों को नमन - मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों को नमन करने और उनके शौर्य की गाथा को जीवंत बनाये रखने के लिए भोपाल में शौर्य स्मारक का निर्माण किया गया है। यह स्मारक देशभक्ति का तीर्थ है। उन्होंने स्थापना दिवस पर शहीदों का पुण्य-स्मरण किया। पुलिस की कर्तव्यनिष्ठा और कार्यकुशलता के कारण प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहतर है।

मुख्यमंत्री ने ईमानदारी, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ मध्यप्रदेश की विकास यात्रा में भागीदारी का संकल्प दोहराते हुए नागरिकों से अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करने का आव्हान किया।

ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जुड़ेंगी देश की सभी ग्राम पंचायतें

मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि गांवों में भी विकास के लिए चर्चा हुई। देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जरूरी है कि गांव भी विकास की मुख्यधारा में जुड़ें। गांवों को विकास का मुख्य केन्द्र बताते हुए केन्द्रीय कानून एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश की सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की बात कही। इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किये जायेंगे।

श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस ही बेहतर गवर्नेंस है। उन्होंने बताया कि ई-वीजा, ई-मण्डी, ई-स्कालरशिप, ई-हास्पिटल जैसे प्रोजेक्ट शुरू किये गये हैं। पिछले साल 4000 स्टार्ट-अप शुरू किये गये हैं। छोटे शहरों में बीपीओ खोलने की योजना में मध्यप्रदेश में 3500 बीपीओ स्वीकृत किये गये हैं। मोबाइल बनाने की 40 कम्पनियाँ स्थापित हुई हैं। 'मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एण्ड एक्सपोर्ट योजना' में काम करें, सरकार पूरी सहायता करेगी।

मध्यप्रदेश में बनेगा डॉटा सेन्टर

शीघ्र ही मध्यप्रदेश में डॉटा सेन्टर स्थापित किया जायेगा। इलेक्ट्रॉनिक में पीएचडी करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जायेगी। इलेक्ट्रॉनिक इण्डस्ट्री शुरू करने वालों को लगभग 25 प्रतिशत की सहायता केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है। राज्य सरकार अलग से सहयोग करती है।

प्रदेश के राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इण्डस्ट्री लगाने का प्रस्ताव

लाइये, सपोर्ट के लिये हम तैयार हैं। उद्योगपतियों की माँग अनुसार ईएसडीएम पॉलिसी में परिवर्तन किया गया है। सरकार का माइंड-सेट अधिक से अधिक रोजगारमूलक उद्योग स्थापित करने का है। प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री मोहम्मद सुलेमान ने आईटी, ईएसडीएम पॉलिसी-2016 के बारे में जानकारी दी।

एम2आई इंटरनेशनल के पार्टनर श्री अजित मनोचा ने ईएसडीएम के ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में कहा कि भारत सॉफ्टवेयर के मामले में विश्व में नंबर एक है। श्री मनोचा ने बताया कि प्रदेश में एक बड़ा प्रोजेक्ट जल्द शुरू करेंगे। जीएससी स्नीडर इलेक्ट्रिक के प्रमुख श्री के.पी. शर्मा ने भी कहा कि मध्यप्रदेश में उद्योग लगाने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। इनफिनियन टेक्नोलॉजी के एमडी श्री विनय सिनॉय ने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की संभावनाओं और इसके ग्लोबल फुट प्रिन्ट के बारे में बताया। श्री एलेक्जेण्डर वर्गीस ने ईएसडीएम के लिये मध्यप्रदेश में किये जा रहे प्रयासों की सराहना की।

भरोसा, विकास गारंटी और गुड गवर्नेंस का समावेश

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का अर्थ सिर्फ बिजनेस मीट नहीं है। जीआईएस में 4जी है। गुडविल यानि भरोसा, ग्रोथ यानि समावेशी विकास, गारंटी और गुड गवर्नेंस। उन्होंने कहा कि पिछले दो साल में खाद्य प्र-संस्करण के क्षेत्र में 175 इकाइयों ने काम करना शुरू कर दिया है। नवकरणीय ऊर्जा में 92 इकाइयों ने काम करना शुरू कर दिया है। पिछले दो साल में दो लाख 75 हजार करोड़ रुपए की उद्योग इकाइयाँ स्थापित हो गई हैं। मध्यप्रदेश की विशिष्टताएँ गिनाते हुए मध्यप्रदेश सर्वाधिक औद्योगिक मित्र प्रदेश बन गया है। हर क्षेत्र में निवेश की नीतियाँ बनाई गई हैं और प्रभावी रूप से समस्याओं का समाधान करने का तंत्र स्थापित किया गया है। सवा लाख एकड़ का भूमि बैंक उद्योगों के

मध्यप्रदेश बनेगा देश का सप्लाई हब

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने इन्दौर में 22 अक्टूबर को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के शुभारंभ अवसर पर कहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद देश की अर्थ-व्यवस्था में सप्लाय चेन का महत्व होगा, जिसमें मध्यप्रदेश अपनी बेहतर भौगोलिक स्थिति के कारण देश का सप्लाय हब बनेगा। इस बात को ध्यान में रखकर निवेशक मध्यप्रदेश में निवेश करें। इस समिट में 42 देश के लगभग 4000 निवेशक और उनके प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। समिट में यूके, साउथ कोरिया, जापान, यूएई, सिंगापुर के राजदूत और निवेशक प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। श्री जेटली ने कहा कि इन दिनों देश में निवेश का बेहतर वातावरण बना है। सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश की गति बढ़ी है। उसी गति के अनुरूप निजी क्षेत्र भी निवेश करे। मध्यप्रदेश में निवेश करने वाले को बेहतर अनुभव होगा। मध्यप्रदेश अपने ऐतिहासिक भौगोलिक नुकसान को लाभ में बदलकर उभरने वाले राज्य की मिसाल बना है। तेरह वर्ष पहले मध्यप्रदेश सड़क, बिजली और पानी के क्षेत्र में पिछड़े राज्यों में था और बीमारू माना जाता था। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के वर्तमान नेतृत्व और राज्य सरकार ने अधोसंरचना के क्षेत्र में बेहतर काम किया है। आज मध्यप्रदेश की सड़कें बेहतर हैं और बिजली के क्षेत्र में राज्य पावर सरप्लस है। किसानों को सिंचाई के लिये पानी की बेहतर सुविधाएँ हैं। राज्य सरकार ने संसाधनों का उपयोग लोगों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिये किया है। इससे प्रदेश की कृषि विकास दर लगातार 20 प्रतिशत से अधिक रही तथा लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी। कृषि अर्थ-व्यवस्था में सुधार तथा लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने का समग्र प्रभाव राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर भी पड़ा। मध्यप्रदेश देश की अर्थ-व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में आ गया है। मध्यप्रदेश में अधोसंरचना है। शैक्षणिक हब बन रहा है। नेतृत्व में स्पष्टता है। बड़ा कंज्यूमर बेस है। अभी मध्यप्रदेश का सर्वश्रेष्ठ सामने आना शेष है। श्री जेटली ने कहा कि अब राज्य सरकार का जोर शहरी अधोसंरचना, कौशल विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश पर है। इन दिनों देश में भी अनुकुल परिस्थितियाँ बनी हैं। केन्द्र में राजनीतिक परिवर्तन के बाद बेहतर वातावरण बना है। वैश्विक स्तर पर क्रूड आइल की कीमतें गिरने का फायदा देश को हुआ है। आर्थिक संसाधनों की बचत से अधोसंरचना और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के लिये ज्यादा राशि उपलब्ध हुई है। मध्यप्रदेश ऐसा राज्य बनकर उभरा है, जिसमें नेतृत्व ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ने की तीव्र आकांक्षा को साकार किया है। उन्होंने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान को बधाई देते हुए कहा कि स्पष्ट रोडमैप और इच्छाशक्ति से उन्होंने प्रदेश को सफलता की ऊँचाइयों तक पहुँचाया है।

लिये बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश में निवेश करने की अनुकूल परिस्थितियों को रेखांकित करते हुए कहा कि यहाँ औद्योगिक शांति है, मानव दिवसों का नुकसान नहीं होता। प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध है। सिंगल विण्डों के बजाय अब सिंगल टेबल व्यवस्था है। उद्योगों के लिये जितनी भी जरूरी शासकीय सेवाएँ हैं। करीब 300 सेवाएँ इसके अंतर्गत लायी गयी हैं। व्यापार को आसान बनाने में मध्यप्रदेश देश के सर्वोच्च पाँच राज्यों में शामिल है। निवेशकों को विकास और समृद्धि में भागीदार के रूप में सम्मान दिया जाता है। जितने भी निवेश प्रस्ताव पिछले दो साल में मिले हैं उन्होंने एक साल के अंदर ही उत्पादन शुरू कर दिया है। ऑनलाइन निवेश प्रस्ताव भी हमने स्वीकृत किये हैं। मध्यप्रदेश में निवेशकों को किसी भी प्रकार की समस्याएँ नहीं आयेंगी। निवेशक और सरकार साथ मिलकर काम करेगी तो विकास और समृद्धि के नये रास्ते भी खुलेंगे। प्रदेश में विकास का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाने के लिये सभी कदम उठाये गये हैं। आनंद मंत्रालय का गठन किया गया है। मंत्रालय के जरिये नागरिकों को अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिये प्रेरित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास के साथ आध्यात्मिक उन्नति और शांति भी जरूरी है। उन्होंने निवेशकों का आह्वान किया कि वे अपने निवेश प्रस्ताव बनाते समय मध्यप्रदेश का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि इस इन्वेस्टर्स समिट में दो हजार से ज्यादा निवेशकों ने 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव दिये हैं।

मध्यप्रदेश अब निवेशक मित्र राज्य

केन्द्रीय पंचायत राज एवं ग्रामीण

उद्योगपतियों ने की मध्यप्रदेश के विकास की भरपूर सराहना

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2016 में भाग लेने आये देश-विदेश के उद्योगपतियों और समिट के भागीदार देशों के प्रतिनिधियों ने मध्यप्रदेश के विकास की भरपूर सराहना की। प्रतिभागियों ने मध्यप्रदेश में निवेश के माहौल को बेहतर बताते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व और मध्यप्रदेश के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। यूनाईटेड किंगडम के अंडर सेक्रेटरी श्री आलोक शर्मा ने कहा कि भारत और ब्रिटेन आर्थिक और वैचारिक दृष्टि से स्वाभाविक सहयोगी हैं। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और ब्रिटेन के विचार अनुकूल हैं। हिन्दुजा ऑटोमेटिव के को-चेयरमैन श्री गोपीचंद हिन्दुजा ने कहा कि वे ब्रिटिश नागरिक हैं, लेकिन उनका दिल भारतीय है। मध्यप्रदेश में पहली बार आने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व और कृतित्व अद्भुत है। अपनी खूबियों, कमियों और आकांक्षाओं का उन्हें भलीभांति ज्ञान है। सिंगापुर के पार्लियामेंट सेक्रेटरी श्री मोहम्मद फेजल इब्राहिम ने कहा कि भारत में प्रौद्योगिकी के

विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने समिट को सफल बताते हुए कहा कि इसका श्रेय मुख्यमंत्री श्री चौहान के करिश्माई नेतृत्व को जाता है। वर्ष 2003 के पहले कोई भी निवेशक मध्यप्रदेश में निवेश के बारे में सोचता भी नहीं था। आज मध्यप्रदेश निवेश मित्र राज्य बन गया है। इसके पीछे श्री चौहान की कड़ी मेहनत है जो अब साफ दिख रही है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।

ग्रामीण विकास का पूरा परिदृश्य बदल गया है। उन्होंने कहा कि श्री चौहान अपने सफल कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे कर रहे हैं। मध्यप्रदेश उनके नेतृत्व में और आगे बढ़ेगा। एक देश और एक कर से मध्यप्रदेश को

फायदा होगा।

मध्यप्रदेश बना गुड गवर्नेंस का मानक

मध्यप्रदेश में आये 5 लाख करोड़ से अधिक के 2630 निवेश प्रस्ताव

इंदौर में सम्पन्न दो-दिवसीय (22-23 अक्टूबर) ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2016 में प्रदेश में निवेश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 2,630 निवेश आशय प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों में 5,62,847 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश प्रस्तावित है। इनमें से कुछ प्रमुख प्रस्ताव इस प्रकार हैं :-

- आदित्य बिड़ला समूह द्वारा विभिन्न क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपये का पूँजी निवेश।
- सिनटेक्स लिमिटेड द्वारा 2,000 करोड़ रुपये।
- प्राक्टर एण्ड गेम्बिल द्वारा 1,100 करोड़ रुपये।
- मायलान लेव द्वारा 700 करोड़ रुपये।
- मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, भारत सरकार के उपक्रमों द्वारा 2700 मेगावॉट क्षमता सौर ऊर्जा के संयंत्रों की स्थापना पर 20700 करोड़, जिसमें इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 4,760 करोड़ रुपये के निवेश आशय प्रस्ताव सम्मिलित हैं।
- ल्यूपिन इण्डिया लिमिटेड द्वारा 380 करोड़।
- एस्सार समूह द्वारा 4,500 करोड़ रुपये।
- हेटिच द्वारा 400 करोड़ रुपये,
- आईटीसी लिमिटेड 600 करोड़।
- मयूर यूनिकोटर्स 200 करोड़।
- अजंता फार्मा 400 करोड़।
- वर्धमान 780 करोड़।
- सागर मेन्युफैक्चरिंग 965 करोड़।
- रूसान फार्मा 700 करोड़।
- छिन्दवाड़ा प्लस एसईजेड विकास के लिये 2500 करोड़।
- वगॉल लिमिटेड 230 करोड़।

अब मध्यप्रदेश होगा मेक इन इंडिया का प्रवेश द्वार

समिट के दौरान केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि अब मध्यप्रदेश देश का मुख्य प्रदेश बन गया है। देश-विदेश के अतिथियों ने बार-बार मध्यप्रदेश के कई मुख्य बिंदुओं की चर्चा की। कहा गया कि निवेश के विभिन्न आधारों पर मध्यप्रदेश निवेश की चमकीली संभावनाओं वाला प्रदेश दिखाई दे रहा है। विश्व बैंक और भारत सरकार की साझा अध्ययन रिपोर्ट 2016 में कहा गया है कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 29 राज्यों में मध्यप्रदेश पाँचवें क्रम पर है। मध्यप्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ आर्थिक विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए पूरी संभावनाएँ हैं। कृषि, सिंचाई, सड़क, बिजली, उद्योग आदि सभी क्षेत्रों में मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मध्यप्रदेश की विकास दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से लगभग दोगुना है। साथ ही पिछले दस वर्षों से लगातार मध्यप्रदेश की विकास दर डबल डिजिट में बनी हुई है। ऐसे में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2016 के तहत मध्यप्रदेश में निवेश लाभप्रद दिखाई दे रहा है।

हाल ही में इंदौर में 22 एवं 23 अक्टूबर को आयोजित दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) की ओर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की निगाहें लगी हुई थीं। इस समिट को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न केवल देश के महानगरों में वरन अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया में 'इन्वेस्ट एमपी' थीम पर प्रभावी रोड शो आयोजित किए थे। आशा के अनुरूप इस समिट में 42 देशों से आए 4 हजार से अधिक प्रतिनिधियों ने 2630 एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट (ईओआई) के जरिए 5.62 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। ये प्रस्ताव प्रमुख रूप से ऊर्जा, पर्यटन, टेक्सटाइल्स, कृषि व खाद्य प्रसंस्करण, ऑटो कम्पोनेट, खनिज फार्मा, शहरी विकास, मोबाइल, हैंडसेट, आईटी जैसे सेक्टर से संबंधित हैं।

इस समिट का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में सप्लाय चेन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जिसमें मध्यप्रदेश बेहतर भौगोलिक स्थिति के कारण देश का सप्लाय हब बनेगा, इस बात को ध्यान में रखकर निवेशक मध्यप्रदेश में निवेश करें। उन्होंने कहा कि इन दिनों देश में निवेश का बेहतर वातावरण बना है। मध्यप्रदेश में निवेश करने वाले को बेहतर अनुभव होगा। तेरह वर्ष पहले मध्यप्रदेश सड़क, बिजली और पानी के क्षेत्र में पिछड़े राज्यों में था और बीमारू माना जाता था। उन्होंने यह भी कहा कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वर्तमान नेतृत्व में राज्य सरकार ने अधोसंरचना के क्षेत्र में बेहतर काम किया है। अब मध्यप्रदेश तेजी से विकास करने वाले राज्यों में अग्रणी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समिट में भाग ले रहे प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का अर्थ सिर्फ बिजनेस मीट नहीं है। जीआईएस में 4 जी हैं। गुडविल यानि भरोसा, ग्रोथ यानि समावेशी विकास, गारंटी और गुड गवर्नेंस।

इस समिट के दौरान केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि अब मध्यप्रदेश देश का मुख्य प्रदेश बन गया है। देश-विदेश के अतिथियों ने बार-बार मध्यप्रदेश के कई मुख्य बिंदुओं की चर्चा की।

कहा गया कि निवेश के विभिन्न आधारों पर मध्यप्रदेश निवेश की चमकीली संभावनाओं वाला प्रदेश दिखाई दे रहा है। विश्व बैंक और भारत सरकार की साझा अध्ययन रिपोर्ट 2016 में कहा गया है कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 29 राज्यों में मध्यप्रदेश पाँचवें क्रम पर है। मध्यप्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ आर्थिक विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए पूरी संभावनाएँ हैं। कृषि, सिंचाई, सड़क, बिजली, उद्योग आदि सभी क्षेत्रों में मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में मध्यप्रदेश की विकास दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से लगभग दोगुना है। साथ ही पिछले दस वर्षों से लगातार मध्यप्रदेश की विकास दर डबल डिजिट में बनी हुई है। ऐसे में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2016 के तहत मध्यप्रदेश में निवेश लाभप्रद दिखाई दे रहा है।

देश और दुनिया के कई निवेशक यह कहते हुए देखे गए कि मध्यप्रदेश मेक इन इंडिया का प्रवेश द्वार है। मध्यप्रदेश दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है, जो देश के 9.5 फीसदी हिस्से तक फैला हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से यह देश में केंद्रीय स्थान रखता है। मध्यप्रदेश जहाँ भारत के केंद्र में स्थित है। वहीं देशभर के सभी प्रमुख बाजारों और प्रथम स्तरीय शहरों के करीब भी है। मध्यप्रदेश में बेहतरीन कनेक्टिविटी है। मध्यप्रदेश में उद्योगों को प्राकृतिक संसाधनों से बल मिलता है। चूना पत्थर, सोया, सूत, कच्चा लोहा आदि के रूप में इस राज्य को भारी मात्रा में प्रकृति का वरदान मिला है। भारत के कुल वनों में से 12 प्रतिशत मध्यप्रदेश में हैं। मध्यप्रदेश के 30 प्रतिशत क्षेत्र पर वन आवरण है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर औषधीय तथा हर्बल पौधों की प्रजातियाँ हैं। मध्यप्रदेश में मजबूत उपभोक्ता आधार है। ऐसे में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2016 के तहत मध्यप्रदेश में निवेश का निर्णय उपयुक्त समझा गया है।

निसंदेह यह समिट लक्ष्य के अनुरूप सफल रही। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समिट के दौरान जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, उनके क्रियान्वयन से मध्यप्रदेश में देशी-विदेशी

निवेश छलांगें लगाकर बढ़ सकता है। निश्चित रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2016 में निवेशकों का पसंदीदा राज्य बनते हुए दिखाई दे रहा है।

लेकिन मध्यप्रदेश को निवेश का चमकीला प्रदेश बनाने के लिए कुछ खास बातों पर ध्यान देना होगा। राज्य में निवेश प्रक्रिया की निर्बाध सुविधा के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने जो निवेशक अनुकूल नीतियाँ और एकल खिड़की व्यवस्था बनाई है, उन्हें कारगर बनाना होगा। प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता, दूरसंचार और परिवहन की उपयुक्तता का कारगर क्रियान्वयन जरूरी होगा।

निश्चित रूप से इंदौर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट लक्ष्य के अनुरूप सफल हुई है। अब यदि समिट के दौरान प्राप्त प्रस्तावों को प्रदेश की जमीन पर लाने के प्रयास तेज गति से होंगे तो हम आशा करें कि मध्यप्रदेश में देशी और विदेशी निवेश के साथ-साथ नई टेक्नोलॉजी के आने से प्रदेश लाभांवित होगा और प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

● **डॉ. जयंतीलाल भंडारी**
(लेखक ख्यात अर्थशास्त्री हैं)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की स्थापना में प्रदेश देश में छठवें स्थान पर

आज प्रदेश का औद्योगिक विकास फास्ट-ट्रेक पर है। उद्योग और निवेश को लेकर नई नीतियाँ बनाई गई हैं। प्रदेश सरकार ने स्व-रोजगार स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों को भी समझा है। सरकार अलग-अलग नीति बनाकर और प्रावधान कर उद्यमियों की राह आसान करने और सफल बनाने में पूरी गंभीरता के साथ प्रयासरत हैं। कम निवेश पर अधिक रोजगार का सृजन, हर हाथ को काम मिले इसी उद्देश्य से प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए इसी साल अप्रैल माह से अलग से सूक्ष्म, लघु और मध्यम विभाग का गठन किया गया है। इसी का परिणाम है कि पिछले वित्त वर्ष में 48 हजार से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पंजीकृत हो चुके हैं। यह गत वर्ष की तुलना में ढाई गुना से अधिक है। इस वित्त वर्ष में छह माह में ही तकरीबन 50 हजार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग स्थापित हुए। प्रदेश अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना के मामले में देश में छठवें स्थान पर आ गया है।

भारत सरकार के एम.एस.एम.ई. मंत्रालय की कलस्टर विकास योजना में प्रदेश के 15 औद्योगिक केन्द्र नादनटोला, जग्गाखेड़ी, निमरानी, नौगाँव, लमतरा, प्रतापपुरा, जडेरूआ, अमकुही, नेमावर, भुरकलखांपा, उमरिया-डुगेरिया, रेडीमेड गारमेंट पार्क गदईपुरा, कलस्टर ग्वालियर ऐपेरल, कलस्टर ग्राम विजैपुर इंदौर, फूड कलस्टर ग्राम बड़ौदी शिवपुरी, नमकीन कलस्टर ग्राम करमदी जिला रतलाम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की स्थापना के लिए 133 करोड़ की परियोजना मंजूर हुई है। इनमें से 98 करोड़ 76 लाख के कार्य पूरे हो

चुके हैं।

विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टडी में वर्ष 2015 की रैंकिंग में प्रदेश को 5वाँ स्थान दिया गया है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में विभिन्न विभाग की 74 अनुमतियाँ, स्वीकृतियों को 'ऑनलाइन' किया गया है।

प्रदेश में तेज औद्योगिक विकास एवं युवा वर्ग को स्वावलम्बी बनाए जाने के मिशन के तहत युवा उद्यमियों के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर प्लान और प्ले सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए इन्क्यूबेशन एवं स्टार्ट-अप पालिसी 2016 लागू की गयी है। पालिसी में इन्क्यूबेशन की स्थापना के लिए पूँजी अनुदान, संचालन में सहायता, शत-प्रतिशत स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क की छूट, इन्क्यूबेटर्स को सलाह के लिए सहायता की प्रतिपूर्ति तथा उनके द्वारा आयोजित स्टार्ट-अप प्रतियोगिता में प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया है। इन्क्यूबेटर्स में संचालित होने वाले उद्यमियों, स्टार्ट-अप के लिए ब्याज अनुदान, लीज रेंट अनुदान, पेटेंट, गुणवत्ता संवर्धन अनुदान एवं स्टार्ट-अप विपणन सहायता आदि का समावेश इस नीति में है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित 7000 से अधिक उत्पाद राज्य सरकार द्वारा खरीदे गये हैं। यह खरीदी 648 करोड़ रुपये की है।

राज्य शासन के विभिन्न विभाग और उपक्रमों में उपयोग की जाने वाली 39 ऐसी वस्तुएँ चिन्हांकित की गयी हैं, जो सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों द्वारा उत्पादित की जाती हैं। इन वस्तुओं को एक अक्टूबर, 2015 से लघु उद्योग निगम के माध्यम से खरीदा जाना अनिवार्य किया गया है। इस तरह के 94 उत्पाद की दर अनुबंध ई-पोर्टल पर प्रदर्शित की गयी है।

अभी तक 7,283 प्रदाय आदेश जारी किये जा चुके हैं। सूक्ष्म तथा लघु उद्यमियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खरीदी के लिये पिछले वित्त वर्ष में 674 करोड़ 14 लाख रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध 648 करोड़ 23 लाख रुपये का व्यवसाय किया जा चुका है। राज्य शासन ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों से सामग्री क्रय करने के लिये भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम-2015 बनाया है। इसमें ज्यादा सरल बनाया गया है। विभिन्न प्रकार के 60 कानून से घटाकर केवल एक रजिस्टर, 13 के स्थान पर 2 रिटर्न्स और सूक्ष्म उद्योगों को 9 श्रम कानून से छूट प्रदान की गई है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग इकाइयों को मार्गदर्शन एवं सहायता देने के लिये एमएसएमई फेसिटिलेशन सेल का गठन किया जाएगा। इसके जरिए एमएसएमई इकाइयों को शासन की नीतियों पर मार्गदर्शन, सुविधा एक ही स्थान पर मिलेगी। यह सेल एक जनवरी, 2017 से प्रारम्भ होगा। इस सेल में 20 कंसल्टेंट कार्य करेंगे। इन्हें बड़े जिलों में पदस्थ कर आस-पास के जिलों का दायित्व भी दिया जाएगा। एमएसएमई इकाइयों के प्रोत्साहन के लिये शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाएँ एवं सहायताओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत पूँजी अनुदान, वेट प्रतिपूर्ति एवं प्रवेश कर छूट की कार्यवाही पूरी करने के लिये एक माह की समय-सीमा तय होगी।

भारतीय सेना

सेवा की सबसे बड़ी मिसाल

सेना का सबसे बड़ा शस्त्र उसका मनोबल होता है। यह मनोबल शस्त्रों से नहीं बल्कि सवा सौ करोड़ देशवासियों के उनके पीछे खड़े होने से आता है। हमारी सेना बोलती नहीं पराक्रम करती है। हमारी सेना मानवता की बड़ी मिसाल है। जब कभी भी प्राकृतिक आपदा आती है तो सेना लोगों की जिन्दगी बचाने का काम करती है। उस वक्त सेना यह नहीं सोचती कि यह लोग कौन है। पूरे विश्व के सुरक्षा बलों में अनुशासन, आचरण तथा सामान्य नागरिकों के प्रति व्यवहार के मानकों में भारत की सेना प्रथम पंक्ति में आती है। यह बात प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विगत दिनों भोपाल में शौर्य स्मारक का लोकार्पण करते हुए कही। विश्व में शांति रक्षक बलों में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला देश भारत है। हमारी सेना के जवानों ने अपने आचरण और व्यवहार से विश्व को जीतने में सफलता पायी है। यमन में जब देश के हजारों नागरिक फँसे थे तब सेना के जवान पाँच हजार से ज्यादा नागरिकों को देश में सही सलामत लेकर आये। वे दूसरे देशों के नागरिकों को भी बचा कर लाये थे। यह भारत की सेना के सातत्य रूपों में से एक है। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान का इतिहास रहा है कि हमारे पूर्वजों ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है। लेकिन जीवन मूल्यों के लिये लड़ाई में हमारी सेना कभी पीछे नहीं रही। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से सीधे हमारा कोई लेना-देना नहीं था फिर भी हमारे देश के डेढ़ लाख जवानों ने अपना जीवन बलिदान किया। इसे पूरे विश्व को लगातार स्मरण करवाने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ महान परम्परा रही है कि वीर सैनिक मानवता के लिये जीते हैं और मरते हैं।

हम हमारी सेना पर गर्व कर सकते हैं। हमारी सेना को तब खुशी मिलती है जब हम चैन की नींद सोते हैं। परंतु कभी-कभी हम जागने के वक्त भी सो जाते हैं। हमें जागने के वक्त तो जागना ही चाहिए। मध्यप्रदेश सरकार ने शौर्य स्मारक का निर्माण कर अभिनंदनीय कार्य किया है। शौर्य स्मारक तीर्थ-क्षेत्र है। यह हम सबके लिये और आने वाली पीढ़ियों के लिये प्रेरणा का मंदिर है। यहाँ हम अनुभव कर सकते हैं कि सेना क्या है और इसका जीवन क्या है? सैनिकों का जीवन और कार्य हमें देश के लिये कुछ करने की प्रेरणा देता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सैनिकों की कई दशकों की माँग थी वन रैंक-वन पेंशन, जिसे हमारी सरकार ने पूरा किया है। हमने इसका भुगतान चार किश्त में देना तय किया है। अब तक साढ़े पाँच हजार करोड़ रुपये पूर्व सैनिकों के खातों में पहुँच चुके हैं। इसके लागू होने के बाद पूर्व सैनिकों को मिलने वाली राशि में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। हमने तय किया

है कि पूर्व सैनिकों को वन रैंक-वन पेंशन मिलने के बाद उसी के आधार पर सातवाँ वेतन दिया जाये।

पूर्व सैनिकों की समस्याओं के तेजी से निराकरण के प्रयास किये गये हैं। हर वर्ष 50 हजार निवृत्तमान सैनिकों को रोजगार दिया जा रहा है। फौज से सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पहले कौशल प्रशिक्षण देकर उसका सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था लागू की है। निवृत्तमान सैनिकों की मदद के लिये रक्षा मंत्री विवेकाधीन राशि से पहले हर वर्ष औसत 10 से 12 हजार सैनिक परिवार को मदद की जाती थी। अब हर वर्ष इस राशि से 50 हजार सैनिक परिवारों को सहायता की जा रही है। हवलदार तक के पद से निवृत्त होने वाले सैनिकों की बेटी की शादी में दी जाने वाली सहायता राशि 16 हजार से बढ़ाकर अब 50 हजार रूपये कर दी गई है। निःशक्त सैनिकों को अस्पताल से प्रमाण-पत्र लेने में होने वाली दिक्कतों को दूर किया गया है। सेना से निवृत्त सैनिकों की चिकित्सीय मदद के लिये देश में 472 नये अस्पतालों को अधिकृत किया गया है। इनमें 64 मध्यप्रदेश के हैं। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत आत्म-निर्भर बने, इसके प्रयास किये जा रहे हैं। दुनिया के देशों में सार्वजनिक स्थानों पर सैनिकों को देखकर उन्हें सम्मान करने की परम्परा है। हमारे देश में भी नागरिक सार्वजनिक स्थानों पर सैनिकों को देखकर उनका आदर करने की परम्परा बनायें। भोपाल का शौर्य स्मारक आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित करने वाला संस्थान बनेगा।

भारत में शौर्य की कोई कमी नहीं

केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर ने राज्य सरकार को शौर्य स्मारक की स्थापना करने पर बधाई देते हुए कहा कि भारत में शौर्य की कोई कमी नहीं है। उन्होंने शिवाजी और राणा प्रताप का संदर्भ देते हुए कहा कि भारत में पराक्रम की कमी नहीं है। वर्ष 1965 और 1971 में भारत के सैनिकों की वीरता का प्रदर्शन पूरी दुनिया ने देखा है। कई शहीद मध्यप्रदेश की धरती के लाल थे। शौर्य स्मारक ऐसे समय लोकार्पित हो रहा है जब हाल में भारत के जवानों ने अपनी वीरता साबित की है।

शहीदों के माता-पिता को मिलेगी आजीवन पाँच हजार रुपये प्रतिमाह सम्मान निधि

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीदों के माता-पिता को आजीवन पाँच हजार रुपये प्रतिमाह सम्मान निधि देने की घोषणा की। उन्होने पूर्व सैनिकों के लिये आर्मी वेल्फेयर हाउसिंग एसोसिएशन को भोपाल या जहाँ सुविधाजनक हो, आवास के लिये जमीन दी जायेगी। नेशनल डिफेंस अकादमी और नेशनल मिलिटरी अकादमी में प्रवेश के लिये राज्य के युवाओं को विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारत को शक्तिशाली देश बनाने के लिये संकल्पित हैं। शौर्य सम्मान सभा सामान्य अवसर नहीं है। यह शहीदों को नमन करने का अवसर है। शहीदों की वीरता को नमन करने का अवसर है। जब भी नापाक कदम भारत भूमि पर पड़े, सेना ने उन्हें विफल कर दुश्मन का सीना छलनी कर दिया। देश शहीदों का कर्जदार है जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया।

उन्होंने शौर्य स्मारक को वीरता का मंदिर बताते हुए कहा कि वीरों की पूजा होनी चाहिये। यह वीरों को प्रणाम करने का समय है।

शौर्य स्मारक में वीर शहीदों के गाँवों की पवित्र माटी को स्मृति के रूप में पूरे प्रदेश से एकत्र किया गया है। इसे शौर्य स्मारक में संजो कर रखा जायेगा ताकि सभी को प्रेरणा मिलती रहे।

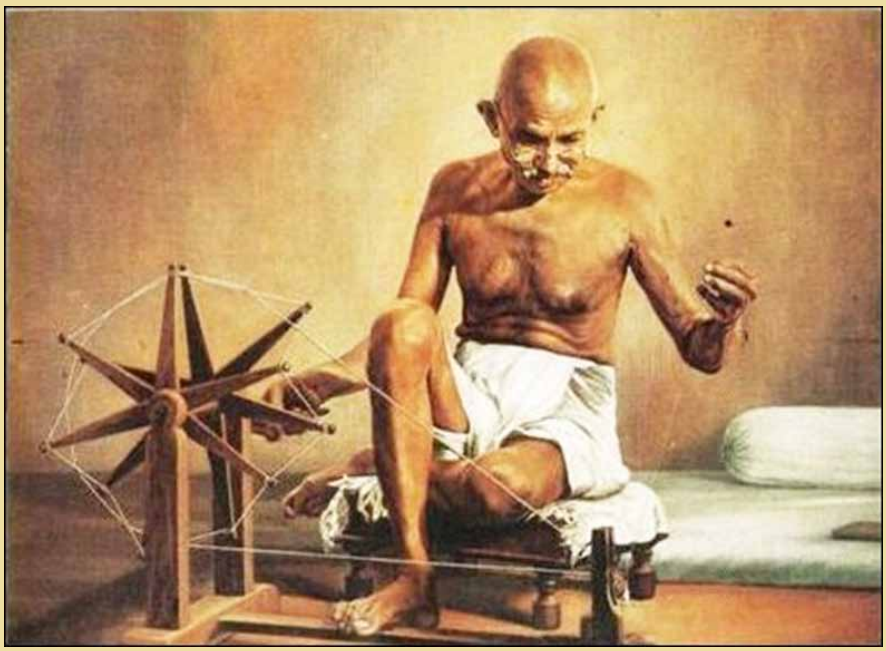

महात्मा गांधी के अन्त्योदय और पं. दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का गुरुमंत्र अच्छे से आत्मसात कर लिया है। ये दोनों मनीषी महात्मा ऐसी अर्थव्यवस्था के तरफदार थे जो समावेशी तथा विकेन्द्रीकृत हो और जिसके लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति यानी दरिद्रनारायण तक पहुंचें इसके लिये बड़े उद्योगों तथा ग्रामोद्योगों में संतुलन की जरूरत है। महात्मा गांधी ने अपनी ग्राम स्वराज की अवधारणा से तकली और तालीम, चरखा और चेतना तथा ग्रामोद्योग और गरीबी उन्मूलन को सहज ही जोड़ दिया है। पं. दीनदयाल जी ने इसे और आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी ने दोनों का समन्वय कर दिया।

गांधीवादी अवधारणा पर मध्यप्रदेश के ग्रामोद्योग

शीर्ष उद्योगपतियों के इन्दौर में आयोजित अक्टूबर 2016 के महासम्मेलन में दो उद्योगपति खुसर-पुसर कर रहे थे। 'यार! मध्यप्रदेश की दिन-ब-दिन तरक्की कर रही अर्थव्यवस्था का राज क्या है?' एक धन कुबेर ने पूछा। 'हमारी अरबों की पूंजी पर आधारित बड़े उद्योग लेकिन उनसे भी ज्यादा विस्तृत ग्रामोद्योग जो स्थानीय संसाधनों पर आधारित और स्वयंपोषित हैं' - दूसरे उद्योगपति ने जवाब दिया।

सचमुच इस प्रदेश ने विकास और वृद्धि के लिये महात्मा गांधी के अन्त्योदय और पं. दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का गुरुमंत्र अच्छे से आत्मसात कर लिया है। ये दोनों मनीषी महात्मा ऐसी अर्थव्यवस्था के तरफदार थे जो समावेशी तथा विकेन्द्रीकृत हो और जिसके लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति यानी दरिद्रनारायण तक पहुंचें इसके लिये बड़े उद्योगों तथा ग्रामोद्योगों में संतुलन की जरूरत है।

महात्मा गांधी ने अपनी ग्राम स्वराज की अवधारणा से तकली और तालीम, चरखा और चेतना तथा ग्रामोद्योग और गरीबी उन्मूलन को सहज ही जोड़ दिया है। पं. दीनदयाल जी ने इसे और आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री शिवराज जी ने दोनों का समन्वय कर दिया। अद्वितीय अर्थशास्त्री वैज्ञानिक डॉ. रघुनाथ मशेलकर इसे गांधीवादी अभियांत्रिकी कहते हैं जिसके तहत अधिकतम लोगों के लिये न्यूनतम स्थानीय संसाधनों से अधिकतम उत्पादन किया जा सके। वे तो यहां तक कहते हैं कि नवाचार के आधार पर स्वदेशी परंपरागत ज्ञान के माध्यम से विश्वस्तरीय उत्पादन भी किया जा सकता है। तसले में जब बच्चे को नहलाते हैं तो पानी फेंकते हैं, बच्चे को नहीं। विदेशी प्रौद्योगिकी के बल पर स्वदेशी ज्ञान में नवाचारी फेरबदल करते समय इस बुनियादी उसूल को याद रखना होगा।

'मेक इन इंडिया' यानी भारत में बनाओ का ही जमीनी भावान्तरण है कि मध्यप्रदेश में बनाओ और 'गांव-गांव में बनाओ।' यही है हमारे मुख्यमंत्री जी की ग्रामोद्योग अवधारणा।

ग्रामोद्योग क्या है? स्थानीय संसाधन और परंपरागत कला कौशल के तालमेल से सामग्री और सेवा का प्रदाय। यह ऐसी गतिविधि है जिसमें पूंजी अपेक्षाकृत कम लगती है लेकिन उससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और स्थानीय शिल्पियों को रोजगार मिलता है। मिसाल के तौर पर मिट्टी हमारा सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन है जो स्थानीय रूप से सुलभ है, जहां मिट्टी है वहां परंपरागत कुंभकार यानी कुम्हार हैं और विद्युत चलित चाक से इसी कला के थोड़े से विकास से सेरेमिक आधारित पॉटरी और टेराकोटा के उत्पादन है, हमारे यहां कपास है जिसके उत्पादन के मामले में मध्यप्रदेश भारत में पांचवें नंबर पर है। इस पर आधारित

वस्त्रोद्योग है। जुलाहे इसे परंपरागत ढंग से करते आ रहे हैं हमारे यहां अरंडी, मलबरी (शहतूत) साल, अर्जुन और अन्य वृक्ष जातियां हैं जिन पर ककून यानी रेशम के कीड़े पनपते हैं। उस पर आधारित रेशम उद्योग है जिसका अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है चंदेरी की विश्व प्रसिद्ध साड़ियां। इन सभी कच्चे मालों के आधार पर जो उत्पादन हो रहा है उसके लिये कला-कौशल विकास के अलावा आर्थिक सहायता सहित हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अनुसंधान, शोध, विज्ञापन, विक्रय आदि इसमें शामिल हैं। इस प्रकार हमने प्रधानमंत्री जी के दो गुरुमंत्रों को साकार कर दिया है। मोदी जी का एक फार्मूला है **स्किल-स्केल-स्पीड** यानी कौशल विकास से **द्रुत उत्पादन।** दूसरा फार्मूला है **फार्म-फायबर-फेब्रिक-फैशन** यानी कपास से ऐसा कपड़ा बनाना जो अंतर्राष्ट्रीय फैशन बाजार में अपना सिक्का जमा सके। अनेक नमूनों में से दो नमूने विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं - चंदेरी और महेश्वर की साड़ी तथा धार के बाघ प्रिंट।

ऐसे तमाम ग्रामोद्योगों पर चर्चा करने के पहले खादी को लें जिसे स्वयं गांधी जी ने 'आजादी की पोषाक' निरुपित किया था। व्यवहार्यतः खादी एक व्यापक शब्द है क्योंकि कच्चे माल के रूप में रूई, रेशम या ऊन के द्वारा बने सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्रों को खादी के तहत लेते हैं। इस प्रकार के वस्त्र चरखे और हथकरघों के माध्यम से बनते थे किन्तु वर्तमान में इनके लिये मशीनीकरण का उपयोग भी किया जाने लगा है। अब तो पॉलिस्टर खादी भी नित नये आकर्षक डिजायनों में बनने लगी है जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। मध्यप्रदेश में बाकायदा एक खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड है जो खादी उत्पादन के विकास, विस्तार और विक्रय में कई स्तरों पर सहायता करता है।

इस बोर्ड के तहत प्रदेश के अनेक जिलों यथा खरगोन, ग्वालियर, टीकमगढ़, बैतूल, इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, बुरहानपुर आदि में विभिन्न केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। यहां सूती, ऊनी तथा रेशमी खादी के अतिरिक्त तेलघानी केन्द्र और चर्म शिल्प केन्द्र भी हैं। स्थानीय शिल्पियों को कच्चामाल मुहैया

कराने में सहायता दी जाती है। उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। ऋण उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार सुदूर और अंदरूनी क्षेत्रों में परंपरागत कारीगरों तथा बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के अवसर देकर उनकी अर्जन क्षमता को बढ़ाया जाता है। इसके नतीजतन ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन पर बहुत कुछ रोक लगी है। खादी बहुत सी स्थानीय समस्याओं विशेषकर बेरोजगारी का समाधान करती है। इसीलिये गांधी जी खादी उत्पादन को समाधान विज्ञान कहते थे। प्रबंधन गुरु डॉ. सी.के. प्रह्लाद और अभियंता अर्थशास्त्री डॉ. रघुनाथ मशेलकर ने 'हर्वर्ड बिजनेस रिव्यू' में खादी सहित ग्रामोद्योगों की गांधीवादी अवधारणा को लेकर लिखे गये अपने लेख में तीन प्रकार के गांधीवादी नवाचारों का उल्लेख किया है- व्यावसायिक गतिशीलता, प्रचलित प्रौद्योगिकियों का नवाचारी पुनर्गठन तथा परंपरागत ज्ञानाधारित नई प्रौद्योगिकियों का सृजन। मध्यप्रदेश में रिसर्च और डेवलपमेंट के अंतर्गत इन सभी बिन्दुओं पर निरंतर काम हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामोद्योग स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था के उन्नयन का प्रमुख साधन बन चुका है। गांधीवादी आर्थिक अवधारणा के आधुनिक व्याख्याकार जोर देकर कहते हैं कि भूमंडलीकरण और बाजारीकरण की प्रवृत्तियों को रोकना तो फिलहाल असंभव है लेकिन उनका उपयोग समाज के सबसे निचले व्यक्ति की बेहतरी के लिये तो जरूर सुनिश्चित किया जा सकता है। यह अन्त्योदय और एकात्म मानववाद की प्रतिध्वनि ही तो है। यही है इन्टरनेट युग की खादी-भावना।

गांधी जी ने चरखे को स्वावलंबन का प्रतीक और खादी को ग्रामोद्योग के मूलाधार के रूप में लिया था। 'चरखे के अनाम अल्पज्ञात आविष्कारक को मेरा प्रणाम' - गांधी जी ने कहा था। चालीस के दशक में गांधी जी और पं. नेहरू के बीच 'स्वतंत्र भारत के औद्योगिक विकास, को लेकर एक गरमागरम बहस छिड़ गई थी। पांच अक्टूबर 1945 को अपने पत्र में गांधी जी ने नेहरू जी को लिखा - 'मेरे सपनों का ग्राम मेरे मन में एकदम साफ है .... उसमें शिक्षित और बुद्धिमान लोग रह रहे होंगे। वहां कृषि और पशुधन होगा लेकिन गंदगी और गरीबी नहीं होगी। वहां चेचक, मलेरिया, हैजा जैसे रोग नहीं होंगे।... कुटीर और ग्रामोद्योगों के कारण वहां बेरोजगारी नहीं होगी... ग्रामोद्योग तो भारी उद्योगों को सहारा देंगे... मेरे ख्याल के गांवों में सड़क, डाकघर, रेल और तारघर होंगे...।" गांधी जी ग्रामोद्योग से विश्व ग्राम की कल्पना करते थे। याद रहे कि चालीस के दशक में टेलीग्राम की कल्पना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी की सीमा थी। यदि आज वे जीवित होते तो सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबल पक्षधर होते- यही तो है प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया।

● **घनश्याम सक्सेना**
(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

शिल्प हैं संस्कृति का प्रवाह

राज्य के इस भूभाग पर लोकशिल्प की उपलब्धता के प्रमाण मानव की विकास यात्रा के साथ जुड़े हैं। प्रागैतिहासिक काल और उसके बाद के कालखण्डों के दौरान लोकशिल्प पत्थरों और फिर धातु के औजारों और उपकरणों के तौर पर था, बाद में लोकशिल्प की इस यात्रा में बर्तन भांडे आदि जुड़ते चले गये। राज्य में विभिन्न नदी घाटियों में हुए उत्खनन के दौरान मिले साक्ष्य इस बात की तरफ स्पष्ट इशारा करते हैं। मालवा में नदी-घाटियों में की गई खोजों में इंदौर और उसके समीपवर्ती धार, महेश्वर, देवास, नागदा, रतलाम, मंदसौर आदि क्षेत्रों से पाषाणकालीन और ताम्रपाषाणकालीन सामग्री प्रचुर मात्रा में मिली है। मालवा के ये औजार अधिकांशतः ट्रेप निर्मित थे। नर्मदा नदी की सहायक नदियों - अग्नि, कुन्डला, मचिकुंड, छोटा तवा, समदैनी, रूपरेल तथा घोड़ा पछाड़ के तल में जो खोज की गई उनमें खंडवा जिले में पुरापाषाणिक मानव के चिन्ह प्रकट हुए हैं। बीजलपुर, बड़कुंड, महालखेड़ी, माटुपुर आदि स्थलों से पुरापाषाणिक औजार प्राप्त हुए हैं। लघु पुरापाषाणिक वस्तुएँ जैसे फलक, अर्धचंद्र फलक, अर्धचन्द्राकार वस्तुएँ तथा क्षुरक आदि उक्त नदी घाटियों में पुनघाट कलां बोरखंडा खुर्द, पीपल्या बावली रोशनी में खंडवा तहसील में देहगांव, घुटिया, अटूटखास, रतनपुर, नंदखेड़ा तथा अन्य स्थानों से प्राप्त हुए हैं। बुरहानपुर से 5 मील दक्षिण-पश्चिम में ताप्ती नदी पर पाषाणिक वस्तुओं के अतिरिक्त काली चित्रकारी युक्त लाल बर्तन, काले तथा लाल और लाल लेप वाले बर्तन, हल्के मोतियालेप वाले धूसर रंग के बर्तन और मंद धूसर रंग के बर्तन प्राप्त हुए हैं। रायसेन जिले में गौहरगंज के समीप पुरापाषाणिक औजार चक्रिल उपकरण, विदारणियां पाई गई हैं। रायसेन के पुराने किले के समीप एक पुरापाषाण कारखाना पाया गया है, जिसमें विदारिणियां तथा हस्तकुठार मिले हैं। धार जिले में प्रसिद्ध बाग गुफाओं के समीप उत्तर पाषाणयुगीन औजार आदि मानव की उपस्थिति सिद्ध करती है। यह औजार सूक्ष्म पाषाणिक है, जिनमें क्रोड व शंकु सम्मिलित हैं। कुछ स्थानों के शिल्पों ने तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी पहुंच व पहचान बना ली है। राज्य के विभिन्न स्थानों पर आकार ले रहे लोकशिल्पों की यह सबसे बड़ी खूबी है कि उनका निर्माण स्थानीय संसाधनों से ही किया जाता है। इस कारण उनमें क्षेत्रीयता की पहचान साथ झलकती है।

धातु शिल्प

मध्यप्रदेश में धातु शिल्प की परंपरा काफी पुरानी है। अगरिया जनजाति का संबंध धातु के साथ प्रारंभ से रहा है तो कसेरा, ठठेरा और सुनार धातु के सिद्धहस्त शिल्पी हैं। लौह अयस्क को गलाने की तकनीक से लेकर उनसे दैनंदिन जीवन में काम आने वाले उपकरणों और औजारों के साथ, कलाकृतियाँ, गहने, बर्तन बनाने की तकनीक आज भी विज्ञानियों के लिए नजीर है।

टीकमगढ़ का शिल्प

बुंदेलखंड का टीकमगढ़ जिला धातु शिल्प की परंपरा का महत्वपूर्ण केन्द्र है। यहाँ की कलात्मक कृतियों की ख्याति राजे-रजवाड़ों से लेकर आज भी देश और विदेशों में बनी हुई है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा और गिलट आदि धातुओं का उपयोग यहाँ सदियों से होता रहा है। यहाँ की धातु शिल्प बनाने की प्रक्रिया मोमक्षय विधि पर आधारित है। इस प्रक्रिया का उपयोग शिल्पी मूर्ति निर्माण, आभूषण या ज्वेलरी बनाने में करते हैं। इस व्यवसाय और निर्माण में तात्रकार जाति के लोग ज्यादा सक्रिय हैं। वैसे अन्य समुदायों से जुड़े लोग भी यह काम करने लगे हैं।

बैतूल का भरेवा शिल्प

प्रदेश का आदिवासी बाहुल्य जिला बैतूल भरेवा धातु शिल्प के लिए जाना जाता है। भरेवा शिल्प के आदिवासी शिल्पी स्थानीय जनसमुदाय की दैनिक आवश्यकताओं, सामाजिक, धार्मिक,

आनुष्ठानिक और सौंदर्यपरक अभिरुचि के अनुसार धातु से सामग्री का निर्माण करते हैं। भरेवा शिल्पियों की तकनीक, विधि, शिल्प एवं कलाकृतियों को देख यह अहसास होता है कि धातु शिल्प का यह उन्नत तकनीकी ज्ञान सदियों से हमारे यहाँ विद्यमान रहा है। भरेवा एक कर्मगत संबोधन है जिसके नाम पर इस कला का नाम पड़ा। भरेवा अर्थात धातु की ढलाई या भराई का काम करने वाले लोग आज भरेवा शिल्पियों की उपस्थिति बहुत अधिक नहीं रही। भरेवा शिल्प से अस्त्र-शस्त्र, देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ, घोड़े, बैलों की लगाम, घुंघरू आदि आज भी बनाते हैं। महादेव, पाण्डव, त्रिशूल की कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। इसके अलावा आदिवासी समुदाय व ग्रामीणों में झाड़-फूंक, विश्वास-अविश्वास, आस्था, मान्यताओं और मनौतियों के साथ आत्माओं से संबंधित अनेक प्रथाएँ मौजूद हैं।

चीचली का पीतल शिल्प

नरसिंहपुर जिले में स्थित चीचली धातु शिल्प, तकनीक और निर्माण का एक और महत्वपूर्ण स्थल है। चीचली में मुख्यतः पीतल और तांबे की धातु से काम किया जाता है। इसके अलावा यहाँ के शिल्पी कांसे का उपयोग भी करते हैं। यहाँ प्रमुख रूप से बर्तन बनाने का काम होता है। यहाँ के शिल्पी पहले तांबा, पीतल को पिघला कर इच्छित रचना करते थे, लेकिन अब रेडीमेड धातु जिसे चंदा या सर्किल कहा जाता है, का उपयोग करते हैं। इस शिल्प को अपनाने वाले शिल्पकारों को कसेर, ठठेर या तमेर कहा जाता है। चीचली में पहले झांझ, घंटा, घड़ियाल जैसी वस्तुओं का निर्माण अधिक होता था, लेकिन अब परात, डेकची, गंज जैसे बर्तन बनाए जाते हैं। पीतल के जिन पारंपरिक बर्तनों को बनाया जाता है, को दो अलग-अलग हिस्सों में पीटकर बनाया जाता है।

उचेहरा का धातु शिल्प

सतना जिले का उचेहरा कस्बा कांस्य धातु शिल्प का सबसे बड़ा केन्द्र है। उचेहरा धातु शिल्प की प्रसिद्धि कांसा और फूल द्वारा निर्मित थालियों के कारण है। यहाँ की बनी थालियाँ पूरे देश के बर्तन बाजार की शोभा बनी हुई हैं। पिछले कुछ वर्षों से उचेहरा के 'बटलोही नामक पात्र की भी अच्छी मांग बनी हुई है। बटलोही का उपयोग दाल, चावल पकाने के लिए होता है। उचेहरा के शिल्पी कांसा, फूल, पीतल और भरत नामक मिश्र धातुओं का उपयोग करते हैं। इन धातुओं का निर्माण तांबे से होता है। उचेहरा के शिल्पी कांसा के बनाए पात्रों पर नक्काशी, अलंकरण अथवा रंगों को भरने में भी महारत रखते हैं। इस कार्य के लिए यहाँ के एक शिल्पी शंकरलाल भोले को राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है।

मंडला की शिल्पकला

मंडला की कांस्यकला का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। अभी तो यहाँ लोटा, कटोरी और गिलास जैसे बर्तन का ही निर्माण होता है, लेकिन पहले गमले, फूलदानयुक्त गमलों, कलश, रोशनदान भी बनाये जाते थे। अंग्रेजों के समय प्लेट, कप-तश्तरी बनाने का काम भी मंडला के शिल्पियों ने खूब किया। गमले, फूलदान, रोशनदान को देख सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के शिल्पकार अपने काम में कितने दक्ष थे।

अगरिया लौह शिल्प

अगरिया जनजाति पारम्परिक रूप से लौह अयस्कों की खोज, अयस्कों को पिघलाकर लोहा प्राप्त करने, स्वयं निर्मित लोहे से कृषि उपकरण, औजार और शिल्प बनाने के लिए आदि समय से प्रसिद्ध रही है। अगरिया शिल्पी मंडला, डिंडौरी, शहडोल, सीधी और बालाघाट जिले में मुख्यतः निवास करती है। यहाँ आज भी कुछ अगरिया शिल्पी अयस्क से लोहा प्राप्त कर औजार, कृषि उपकरण आदि बनाने का काम करते हैं। अगरिया शिल्पी ग्रामीणों में उपयोग होने वाले सामानों तीर का फाल, भाला, कुल्हाड़ी, चाकू, हंसिया, हथौड़ा, खुरपी, छेनी, फावड़ा, कुदाल, चिमटा, तवा, सांकल, संडसी जैसे सामानों का निर्माण करते हैं।

मिट्टी शिल्प

मध्यप्रदेश में माटी शिल्प की पुरातन परंपरा रही है, जो कि आज भी बरकरार है। पूरे राज्य में कुम्हार समाज की रोजी-रोटी का साधन मिट्टी से ही चलता है। वे मिट्टी को आकार देकर देवी-देवताओं की प्रतिमाओं से लेकर जीवनोपयोगी बर्तनों, भवन सामग्री और खिलौने आदि का निर्माण करते हैं। कुम्हार समाज के अलावा प्रदेश की जनजातियाँ भी मिट्टी के कुशल शिल्पी होते हैं। टेराकोटा और पाटरी से उनके द्वारा बनाई कलाकृतियों की आज देश-विदेश में अच्छी मांग बनी हुई है।

मंडला का टेराकोटा

मंडला जिले में निवास करने वाली जनजातियाँ गोंड, बैगा, प्रधान, धीमा, जिनवार, भूमिया और भेरिया पाटरी और टेरोकोटा शिल्प के सिद्धहस्त शिल्पी हैं। ये शिल्पी जनजाति समाज की धार्मिक मान्यताओं और परंपरा में काम आने वाली प्रतिमाओं का निर्माण करते हैं। जिसमें बड़ा देव, फुलवारी देवी की प्रतिमाएँ प्रसिद्ध हैं। यहाँ का माटी शिल्प काले रंग का होता है। इसके अलावा मंडला में बच्चों के तरह-तरह के खिलौने, सजावटी सामानों और गमलों का निर्माण भी होता है।

मालवा का माटी शिल्प

मालवा के धार, झाबुआ, निमाड़ जिलों की जनजातियाँ टेराकोटा शिल्प के कुशल

शिल्पकार हैं। यहाँ के शिल्प में राजस्थान, गुजरात के मिट्टी कला की छाप दिखाई देती है। इन जिलों में भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया, नायक और मनका जनजाति माटी शिल्प से जुड़ी हुई है। उक्त जनजातियाँ सामाजिक मान्यताओं, परंपराओं से जुड़े शिल्प का निर्माण करने के अलावा बाजार की मांग के अनुरूप टेराकोटा शिल्प का निर्माण करती हैं। इनके द्वारा बनाए खिलौनों, सजावटी सामग्री की अच्छी मांग है।

ग्वालियर का शिल्प

ग्वालियर, शिवपुरी जिलों में निवास करने वाली सहारिया, भील और भिलाला जनजाति टेराकोटा शिल्प से जुड़े हैं। चैत्र माह में मनाए जाने वाले गणगौर पर्व इनके बनाए शिल्प के बगैर अधूरा होता है। उक्त शिल्पी पशु-पक्षियों की आकृति भी टेरोकोटा से बनाते हैं।

काष्ठ कला

मध्यप्रदेश में काष्ठ कला का इतिहास जितना प्राचीन है उतना ही समृद्ध भी रहा है। वन बाहुल्य होने के कारण प्रदेश में काष्ठ शिल्प ने अपेक्षाकृत ज्यादा ही उन्नति की है। पूरे प्रदेश में फैले बढ़ई समाज के अलावा जनजाति समाज काष्ठ कला के पैरोकार हैं। बढ़ई समाज के काष्ठ शिल्पी जहाँ कृषि उपकरणों, भवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री और ग्रामीणों की जरूरतों के सामानों का निर्माण करते हैं तो जनजाति कलात्मक शिल्प में माहिर हैं। बुधनी का खिलौना उद्योग, बैतूल, होशंगाबाद और रीवा का काष्ठ शिल्प देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि बटोर रहा है।

बुधनी का खिलौना उद्योग

सीहोर जिले की बुधनी तहसील के काष्ठ शिल्पियों के बनाये लकड़ी के खिलौने और ड्राइंग रूम में रखने योग्य कलाकृतियाँ जो एक बार देख लेता है खरीदे बिना नहीं रहता। बुधनी के काष्ठ शिल्पी भैयालाल ने बताया कि दूधी सागौन और साज की लकड़ियों से कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। बुधनी में दर्जन भर से अधिक परिवार इस कला से जुड़े हैं।

पचमढ़ी की काष्ठकला

होशंगाबाद जिले के आदिवासी क्षेत्र

केसला, सुखतवा और प्रमुख पर्यटन स्थल पचमढ़ी के आदिवासियों को यह कला वैसे तो विरासत में मिली हुई है, परंतु जब मध्यप्रदेश हस्त शिल्प विभाग का उन्हें साथ मिला तो उनकी बनाई कलाकृतियाँ देश ही नहीं विदेश में भी खूब धूम मचा रही हैं। आदिवासी शिल्पी सागौन और साज की लकड़ी से मुखौटे, खिलौने और ड्राइंग रूम में रखने योग्य कलाकृतियाँ बनाते हैं।

शहडोल का काष्ठ शिल्प

शहडोल जिले के आदिवासी काष्ठ शिल्पियों के द्वारा बनाए खिलौने और सजावटी सामग्रियों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी मांग है। जिले में करचुल और महरोई गांवों में कई शिल्पी परिवार काष्ठ शिल्प के निर्माण में जुटे हुए हैं। हाल ही में इन शिल्पियों को विशेष प्रशिक्षण देकर आजीविका परियोजना द्वारा मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। पुरुष जहाँ मशीन से खिलौने व अन्य सामान बनाते हैं वहीं महिलाएँ रंगाई का काम करती हैं। यहाँ बनी लकड़ी की सामग्रियों की महानगरों सहित यूरोपीय देशों में अच्छी मांग है।

रीवा का सुपारी शिल्प

मध्यप्रदेश के रीवा में लकड़ी के साथ ही सुपारी पर अद्‌भुत शिल्प किया जाता है। रीवा में सुपारियों पर कलाकारी करके उनकी मूर्तियाँ और छड़ियाँ बनाई जाती हैं। सुपारियों का प्रयोग करके यहां बनाए जाने वाले विघ्न विनाशक भगवान गणेश की मूर्तियों की माँग दूर-दूर तक होती है। सुपारियों और लकड़ी का प्रयोग करके यहां पर खिलौने एवं सजावटी सामान भी बनाए जाते हैं। मध्यप्रदेश के लोग जाने-पहचाने जाने वाले स्थानों और विधाओं के साथ-साथ राज्य के लगभग हर इलाके में लोकशिल्प की अपनी परंपरायें और प्रवृत्तियां हैं। इन सबका अपना बाजार भी है। आज के मशीनी उत्पादन के दौर में लोकशिल्प और उसके शिल्पकारों को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उनका बाजार भी घट रहा है और खरीददार भी। यह सरकार के साथ समाज की भी उतनी ही जवाबदारी है कि वह उनको संरक्षण व समर्थन दे।

● **शिव अनुराग पटैरया**
(लेखक वरिष्ठ स्तम्भकार हैं)

मध्यप्रदेश में कुटीर और ग्रामोद्योग
ग्राम विकास की आधारभूत पहल

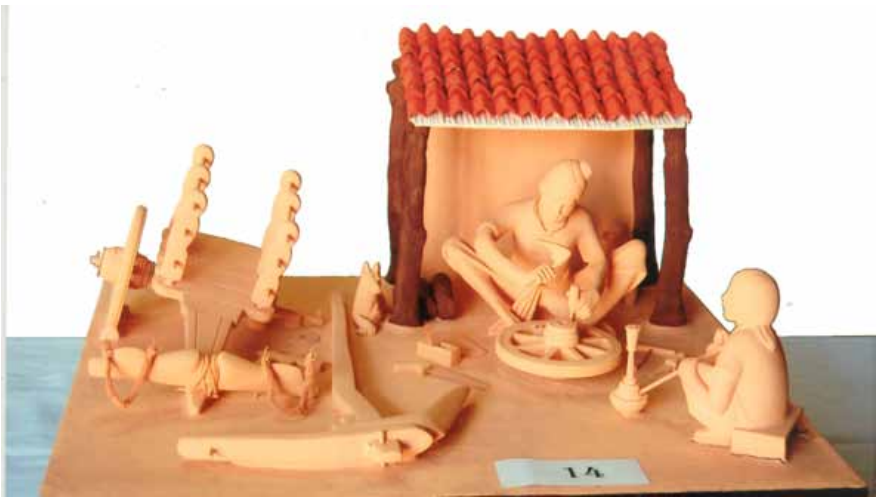

भारत गाँव में बसता है। भारत की जड़ें गांव से ही पुष्पित पल्लवित हुई हैं। हमारी संस्कृति, परम्परा और समृद्धि गाँव से शहर की ओर बहती है। भारत की आजादी के साथ महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का स्वप्न देखा था। उनकी कल्पना में गाँव के स्वावलम्बन में शिक्षा स्वास्थ्य और समृद्धि समाहित थी। गाँव की समृद्धि के लिए ग्रामोद्योग प्रमुख कड़ी है। गाँधी जी ने मेरे सपनों के भारत में लिखा है कि "ग्रामोद्योग की योजना के पीछे मेरी कल्पना तो यह है कि हमें अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताएं गाँवों की बनी चीजों से ही पूरी करनी चाहिए। हमें इस बात की सबसे ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि गाँव हर बात में स्वावलम्बी और स्वयंपूर्ण हो जायें। उनका स्पष्ट मत था कि यदि ग्रामोद्योग का लोप हो गया तो भारत के गांवों का सर्वनाश ही समझिए। गांधी जी के अनुसार खादीवृत्ति का अर्थ है जीवन के लिए जरूरी चीजों की उत्पत्ति और उनके बंटवारे का विकेन्द्रीकरण।

ग्रामोद्योग गरीबी उन्मूलन का सहज उपाय है। ग्रामोद्योग का सीधा-सा अर्थ है स्थानीय संसाधन, स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय मेधा और कौशल से सामग्री का निर्माण और प्रदाय करना। मध्यप्रदेश ग्राम बाहुल्य प्रदेश है। कुटीर व ग्रामोद्योग के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों की यहां प्रचुरता है। स्थानीय शिल्प की समृद्ध परम्परा है। इन सभी पक्षों को समाहित कर मध्यप्रदेश सरकार ने मई 1990 में ग्रामोद्योग विभाग की स्थापना की है। यह विभाग ग्रामोद्योगों के सुदृढ़ीकरण और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में कार्यरत है। इस विभाग के अंतर्गत हथकरघा संचालनालय, रेशम संचालनालय, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम तथा मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा ग्रामोद्योग के विविध पक्षों पर कार्य किया जा रहा है।

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के दायित्व

- कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा मध्यप्रदेश के परंपरागत ग्रामोद्योगों के संवर्धन, समग्र विकास, रोजगार बढ़ाने, ग्रामोत्पादों की गुणवत्ता का विकास, कौशल उन्नयन, ग्रामोत्पादों को बाजारोन्मुखी बनाने और उनके विपणन

को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रमुख दायित्व

- ग्रामोद्योगों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- ग्रामोद्योग विकास में महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता देते हुए ग्रामोद्योग स्थापित करने के लिए बुनियादी एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, उन्नत प्रौद्योगिकी, उत्पाद विकास, उच्च गुणवत्ता आदि के विकास के लिए सहयोग देना।
- क्लस्टर अप्रोच अपनाते हुए ग्रामोद्योग के विकास में निजी क्षेत्र स्व-सहायता समूहों, अशासकीय संस्थाओं, सहकारी संस्थाओं एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- कृषि उपज आधारित ग्रामीण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देना।
- ग्रामोद्योग के उत्पादों के बारे में प्रदेश के भीतर एवं बाहर की मांग का आकलन कर, विपणन तंत्र को चिन्हित कर विकसित करना, गुणवत्ता के अनुरूप वस्तुओं के उत्पादन हेतु बेकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेज उपलब्ध कराना तथा उत्पादन के विपणन को प्रोत्साहित करना।

हथकरघा संचालनालय

हथकरघा संचालनालय द्वारा प्रदेश की अति प्राचीन धरोहर और वस्त्र शिल्प हथकरघा वस्त्र बुनाई कला के संरक्षण और विकास का कार्य किया जा रहा है। इसमें कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, उन्नत उपकरणों को प्रदान करना, क्लस्टरों में अधोसंरचना विकास, डिजाइन विकास और उत्पाद के विकास पर जोर दिया जा रहा है। बुनकरों के उत्पादों के विपणन में सहयोग प्रदान किया जाता है इसके लिए जहाँ शासकीय विभागों से आदेश प्रदाय करने के अलावा देश और प्रदेश में मेला, एक्सपो और प्रदर्शनियों का आयोजन कर कारीगरों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

हथकरघा संचालनालय के दायित्व

- प्राचीनतम एवं उत्कृष्ट बुनाई कला की सुप्रसिद्ध परम्परा को समृद्ध बनाना।
- हथकरघा उद्योग में आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहन देकर आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाना।
- हथकरघा बुनकरों को सतत् रोजगार उपलब्ध कराना तथा नये लोगों को इस उद्योग से संबद्ध कर रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
- बुनकरों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के प्रयास करना।
- प्रदेश में बुनकरों व अन्य कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना।

रेशम संचालनालय

मध्यप्रदेश में अपार प्राकृतिक संपदा है। यहां के प्राकृतिक वनों पर टसर ककून का उत्पादन किया जा रहा है। वर्ष 2018 तक प्रदेश को देश का एक मुख्य रेशम उत्पादक राज्य बनाने की आयोजना है।

- राज्य के कृषकों की खेती को लाभ का धन्धा बनाने के उद्देश्य से, कृषकों को अपनी भूमि पर मलबरी रोपण एवं कीटपालन हेतु प्रोत्साहित करना।
- बाजारोन्मुखी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु ककून तथा रेशम धागे में गुणात्मक तथा मात्रात्मक सुधार लाना व कौशल उन्नयन एवं तकनीकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करना।
- रेशम उद्योग के प्रबंधन में हितग्राहियों एवं स्टेकहोल्डर की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
- मूल्य अभिवृद्धि की गतिविधियों को प्रोत्साहित कर विपणन को बढ़ावा देना।
- प्रदेश के वनों का संवहनीय दोहन कर टसर उत्पादन का विकास करना।

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

मध्यप्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा विभिन्न अंचलों में खादी का उत्पादन किया जा रहा है। खादी के उत्पादन में सिल्क, ऊनी तथा सूती खादी शामिल है। खादी उत्पादन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले कातिन व बुनकरों को स्वरोजगार व रोजगार से जोड़ा जा रहा है। खादी उत्पादन केन्द्रों से 430 कत्तिन बुनकर व अन्य कामगार लाभान्वित हो रहे हैं। मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित विंध्या वैली प्रोजेक्ट के तहत बिक्री का प्रयास किया जाता है। जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसका लाभ विंध्या वैली से जुड़े

स्व-सहायता समूहों और महिलाओं को प्राप्त हो रहा है।

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के दायित्व

- खादी तथा ग्रामोद्योग की स्थापना, विकास एवं संवर्धन में सहयोग एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
- खादी तथा ग्रामोद्योग की स्थापना हेतु उद्यमी भावना को प्रोत्साहित करना।
- खादी तथा ग्रामोद्योग में प्रशिक्षण तथा विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना।
- खादी तथा ग्रामोद्योग के लिये संयंत्र, मशीनें और उपकरणों का प्रदाय एवं कच्चे माल की आपूर्ति करना।

संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम

मध्यप्रदेश हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम द्वारा परम्परागत शिल्पी तथा बुनकर परिवार के युवाओं को परम्परागत आजीविका से जुड़े रहने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत क्लस्टर में बुनियादी सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। बिक्री केन्द्रों, एम्पोरियमों में बिक्री को प्रोत्साहित करने के उपाय किये जा रहे हैं। परम्परागत स्थानीय शिल्पियों से डिजाइनर उत्पादों का उत्पादन करवाया जाता है ताकि बुनकरों की आय बढ़ने के साथ-साथ उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो सके।

संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम के दायित्व

- प्रदेश की समृद्ध हस्तशिल्प एवं हथकरघा संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन कर रोजगार के अवसर बढ़ाना।
- विकासात्मक एवं प्रोत्साहनात्मक गतिविधियों के संचालन व अधोसंरचना विकास द्वारा ऐसा वातावरण बनाना जिसमें परम्परागत शिल्पी व बुनकर परिवारों के युवा पैतृक व्यवसाय में ही बने रहें।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बदलती मांग के अनुरूप हस्तशिल्प व हथकरघा सेक्टर के उत्पादों की गुणवत्ता व डिजाइन्स में सुधार लाकर बाजार की प्रतिस्पर्धा में बिक्री योग्य बनाना।
- तकनीकी उन्नयन द्वारा प्रति व्यक्ति उत्पादन क्षमता बढ़ाकर शिल्पियों व बुनकरों की आमदनी में वृद्धि करना।
- हथकरघा व हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन के लिए सहायता व मार्केट लिंकेज।

शिल्पियों और बुनकरों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए निगम द्वारा परम्परागत शिल्प पॉकेट्स और हथकरघा सघन क्षेत्रों में 29 विकास केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। शिल्पियों/बुनकरों द्वारा उत्पादित माल के विपणन की व्यवस्था के लिए 22 एम्पोरियम संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें से 10 प्रदेश के बाहर देश के प्रमुख नगरों में हैं। भोपाल, ग्वालियर एवं इन्दौर में स्थायी हाट की स्थापना की गई है।

मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड

मध्यप्रदेश के मिट्टी कला से जुड़े शिल्पकारों, कारीगरों व कामगारों के विकास और उनके कार्यों को परिष्कृत करने का कार्य मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों को मशीनरी, कच्चा माल, वर्क शेड निर्माण तथा विद्युत चलित उन्नत शैला चाक के लिए सहायता उपलब्ध की जा रही है और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध किये जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड के दायित्व

- माटीकला उद्योगों से संबंधित अधोसंरचना जैसे बिजली, पानी, पहुँच मार्ग की व्यवस्था के संबंध में निरीक्षण एवं सुझाव देना।
- तकनीकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के संबंध में प्रभावी योजना बनाना एवं धनराशि की व्यवस्था करना।
- केन्द्र सरकार, राज्य शासन एवं सार्वजनिक क्षेत्र से माटी का कार्य करने वालों को सुविधाएं एवं सेवायें उपलब्ध कराने के संबंध में समन्वय की व्यवस्था करना।
- माटी का कार्य करने वाले कारीगरों एवं उद्योगों की समस्याओं का निराकरण करने का सुझाव देना।

● प्रस्तुति : रीमा राय

गतिविधियाँ

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग की भूमिका मध्यप्रदेश के परंपरागत ग्रामोद्योगों के संवर्धन, समग्र विकास, रोजगार बढ़ाने, ग्रामोत्पादों की गुणवत्ता का विकास, कौशल उन्नयन, ग्रामोत्पादों को बाजारोन्मुखी बनाना एवं उनके विपणन को प्रोत्साहित करने से है। विभाग की प्रमुख गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं :-

- ग्रामोद्योगों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- ग्रामोद्योग विकास में महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता देते हुए ग्रामोद्योग स्थापित करने के लिए बुनियादी एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, उन्नत प्रौद्योगिकी, उच्चगुणवत्ता आदि के विकास के लिए सहयोग देना।
- क्लस्टर अप्रोच अपनाते हुए ग्रामोद्योग के विकास में निजी क्षेत्र, स्व-सहायता समूहों/अशासकीय संस्थाओं/सहकारी संस्थाओं एवं अन्य स्टेक होल्डर्स की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- कृषि उपज आधारित ग्रामीण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देना।
- ग्रामोद्योग के उत्पादों के बारे में प्रदेश के भीतर एवं बाहर की मांग का आकलन कर, विपणन तंत्र को चिन्हित कर विकसित करना, गुणवत्ता के अनुरूप वस्तुओं के उत्पादन हेतु बेकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेज उपलब्ध कराना तथा उत्पादन के विपणन को प्रोत्साहित करना।

हथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय

भारत में कृषि के बाद परम्परागत रूप से हथकरघा उद्योग में अत्याधिक रोजगार की संभावना है। हथकरघा क्षेत्र में इन्हीं रोजगार की संभावनाओं के कारण वर्ष 1976 में प्रदेश में हथकरघा संचालनालय का गठन किया गया था। संचालनालय द्वारा अपने जिला हथकरघा कार्यालय तथा जिला पंचायत में कार्यरत जिला ग्रामोद्योग अधिकारियों के माध्यम से प्रदेश के हथकरघा और हस्तशिल्प के कारीगरों को स्वरोजगार स्थापित किये जाने और परम्परागत उत्पादों के संरक्षण एवं विकास के लिये कार्य किया जा रहा है।

उद्देश्य और दायित्व

- प्राचीनतम उत्कृष्ट बुनाई कला की सुप्रसिद्ध परम्परा को समृद्ध बनाना।
- हथकरघा उद्योग में आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहन देकर इसे आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाना।
- हथकरघा बुनकरों को निरंतर रोजगार उपलब्ध कराना तथा नये लोगों को इस उद्योग से संबद्ध कर बेरोजगारी निवारण का प्रयास करना।
- बुनकरों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के प्रयास करना।
- प्रदेश में बुनकर व अन्य हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देना।

गतिविधियाँ

- विकासात्मक कार्यक्रम तैयार करना एवं क्रियान्वयन करना।
- बुनकरों/शिल्पियों को संस्थागत सहयोग।
- डाटा संग्रहण/अभिलेख संग्रहण।
- पर्यवेक्षण, मूल्यांकन एवं अनुसंधान कार्य।

योजनाएं

हथकरघा संचालनालय मध्यप्रदेश द्वारा संचालित जिला स्तरीय योजनाएं

हथकरघा उद्योग विकास योजना (हथकरघा क्षेत्र के लिए) : हथकरघा क्षेत्र में बुनकर सहकारी समितियों, स्व-सहायता समूहों, उद्यमियों, व्यक्तिगत बुनकरों एवं अशासकीय संस्थाओं के बुनकरों व शिल्पियों को आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामोद्योग उत्पादों को बाजार योग्य बनाने के लिए तकनीकी, विपणन एवं कार्यशील पूँजी के लिए सहायता प्रदान करना। बुनकर सहकारी समितियों, स्व-सहायता समूहों, उद्यमियों, व्यक्तिगत बुनकरों तथा अशासकीय संस्थाएं जो कार्यशील होकर अपने सदस्यों को रोजगार प्रदान कर रही हैं को योजना अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के अंतर्गत प्रदेश के हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में कार्यरत बुनकर तथा शिल्पियों को स्व-रोजगार स्थापित करने के लिए राशि रुपये 20 हजार से रुपये 10 लाख तक की सहायता बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। योजना में सामान्य वर्ग के लिए 15 प्रतिशत (अधिकतम रुपये एक लाख) तथा बी.पी.एल., अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर), महिला, अल्पसंख्यक, निःशक्तजन के लिए 30 प्रतिशत (अधिकतम दो लाख) तक मार्जिन मनी सहायता स्वीकृत की जाती है। इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत की दर से (अधिकतम 25 हजार प्रतिवर्ष) ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक देय होगा।

इस योजना के अंतर्गत गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगा।

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में कार्यरत बुनकर तथा शिल्पियों को स्व-रोजगार स्थापित करने के लिए अधिकतम राशि रुपये 20 हजार तक की सहायता बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है।

आवेदक बी.पी.एल. का होना अनिवार्य होगा। आवेदन दिनांक को हितग्राही की आयु सीमा 18 से 55 वर्ष के मध्य हो। इस योजना में परियोजना लागत अधिकतम 20 हजार

होगी। परियोजना लागत पर 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये 10,000 मार्जिन मनी सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

राज्य स्तरीय योजनाएं

एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम

ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत क्लस्टरों को विशिष्ट बनाने, वर्तमान क्लस्टर को सुदृढ़ करने, क्लस्टरों को वित्तीय समर्थन बढ़ाने, डायग्नोस्टिक स्टडी, नवीन एवं आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन एवं विकास, अन्य आवश्यक इनपुट डिजाइन, बाजार लिंकेजेस, सलाहकारों की सेवाएं लेने एवं कमियां को चिन्हित करने हेत अध्ययन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए लघु एवं मध्यम उद्यमियों, अशासकीय संस्थाओं को समर्थन देने हेतु वर्कशाप अध्ययन भ्रमण के आयोजन हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है। क्लस्टर अंतर्गत बुनियादी आवश्यकता सड़क, नाली, पेयजल, विद्युत प्रदाय, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

उद्यमियों, स्व-सहायता समूहों, अशासकीय संस्थाओं को सहयोग

हथकरघा तथा हस्तशिल्प उद्योगों से संबंधित व्यक्तियों, उद्यमियों, स्व-सहायता समूहों और अशासकीय संस्थाओं इत्यादि को नवीन और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, डिजाइन विकास, उत्पाद परिवर्तन, परिवर्धन, विपणन और निर्यात से जुड़ी हुई गतिविधियों तथा उद्योग के उत्थान के लिये यह योजना लागू की गई है।

● **अनुदान पर औजार/उपकरण -** उन्नत उपकरण क्रय के लिये, औजार की कीमत के अनुसार, अधिकतम रु. 12000/- की सीमा में अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

कुल स्वीकृति का सामान्य वर्ग के लिये अनुदान 50% है व अनुसूचित जाति व जनजाति के लिये 75% है। शेष राशि शिल्पी, बुनकर, संस्था को मिलाना होती है।

● **कर्मशाला निर्माण -** स्वयं की जमीन होने पर नई कर्मशाला निर्माण के लिये 75.00 लाख तक का व पुरानी कर्मशाला निर्माण के लिये रु. 2.00 लाख तक का अनुदान स्वीकृत किया जाता है, स्वीकृत राशि का 75% अनुदान होता है। शेष 25% शिल्पी बुनकर का अंश होता है।

● मेलों में भागीदारी के लिये रुपये 30,000/- तक का अनुदान उपलब्ध है।

● निर्यात प्रदर्शन में भाग लने के लिये वास्तविक क्रय का 75% रुपये 2.00 लाख, जो भी कम हो, मिल सकता है।

कबीर बुनकर पुरस्कार योजना

उत्कृष्ट हथकरघा वस्त्र उत्पादन करने वाले दो बुनकरों को समिति की अनुशंसा निर्णय अनुरूप प्रथम रुपये 100000/-, द्वितीय रुपये 50,000/- पुरस्कार, एवं तृतीय पुरस्कार राशि रुपये 25,000/- तथा प्रतीक

चिन्ह प्रदान करने का प्रावधान है।

अनुसंधान एवं विकास योजना

हथकरघा क्षेत्र में नवीन अनुसंधान तथा विकास कार्य नमूनों का निर्माण इत्यादि कार्यों के लिए राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी के अनुमोदन अनुसार सहायता निगम, संघ एवं समितियों को स्वीकृत की जाती है। यह योजना भी संचालनालय स्तर से संचालित की जाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य

हथकरघा संचालनालय एवं अधीनस्थ जिला हथकरघा कार्यालयों को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्यों के लिए योजना से सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

स्पेशल प्रोजेक्ट

हथकरघा एवं हस्तशिल्प के प्रमुख क्लस्टरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान के लिये परियोजना आधार पर अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन, तथा संस्थानों जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट आदि के सहयोग से परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सहायता दी जाती है ।

प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण

प्रदेश के ग्रामोद्योग उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ाने तथा विकास कार्यों के (हथकरघा, हस्तशिल्प एवं ग्रामोद्योग की परम्पराओं के) अभिलेखीकरण जिस पर डिजाईन डिक्शनरी प्रकाशन, ब्रोशर प्रिंटिंग, परियोजना प्रतिवेदन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग तथा बेस्ट प्रेक्टीसेस आदि के अभिलेखीकरण हेतु सहायता दी जाती है। यह सहायता प्रोजेक्ट आधारित होती है। सहायता के अधिकतम सीमा तक राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट कमेटी के विवेकाधीन होती है।

युवा बुनकरों को संस्थागत प्रशिक्षण

भारत सरकार द्वारा संचालित टेक्सटाईल, हथकरघा, हस्तशिल्प, ग्राम एवं कुटीर इत्यादि प्रशिक्षण केन्द्रों, प्रशिक्षण संस्थानों में प्रदेश के बुनकरों, हस्तशिल्पियों के युवाओं को प्रशिक्षण छात्रवृत्ति एवं अन्य प्रासंगिक व्ययों की पूर्ति के लिए सहायता दी जाती है।

भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिक संस्थान जोधपुर में 10 सीटों का आरक्षण किया गया है, जिसमें प्रदेश के हथकरघा उद्योग को उचित तकनीकी अमला उपलब्ध कराने की दृष्टि से 3 वर्षीय डिप्लोमा के हथकरघा, हस्तशिल्प, ग्राम एवं कुटीर उद्योग से जुड़े युवा बुनकरों, शिल्पियों, उद्यमियों को विभिन्न रोजगारमूलक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करने के लिए शिल्पियों के परिवार के 18 से 45 वर्ष की आयु के युवक व युवतियों को प्रशिक्षित करने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम

विकास आयुक्त हथकरघा भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना में 12-13 तक कार्यान्वित एकीकृत हथकरघा विकास योजना (आईएचडीएस) विपणन एवं निर्यात संर्वधन (एमईपीएस) और विविधकृत हथकरघा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पूर्ववर्ती उपरोक्त तीनों योजनाओं को क्लब करते हुए एक पैकेज के रूप में योजना लागू की गयी है। इस योजना में प्रमुख रूप से निम्नलिखित घटकों को शामिल किया गया है :-

- क्लस्टर विकास कार्यक्रम ।
- हथकरघा विपणन सहायता ।
- हथकरघा संस्थानों का विकास और सुदृढ़ीकरण ।
- हथकरघा संगणना ।
- नवोन्मेषी विचारों का कार्यान्वयन ।
- योजना का प्रचार-प्रसार, विज्ञापन, मॉनीटरिंग, प्रशिक्षण और मूल्यांकन।

● प्रस्तुति : भूपेन्द्र नामदेव

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

महात्मा गांधी खादी को भारत की समस्त जनता की एकता, आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक मानते थे। उन्होंने स्वदेशी आन्दोलन में जहाँ खादी को एक हथियार का स्वरूप दिया वहीं गाँवों की समृद्धि के लिए ग्रामोद्योग की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थापित किया। वास्तव में खादी हाथ से काते गए और बुने गए कपड़े को कहते हैं। कच्चे माल के रूप में कपास, रेशम या ऊन का प्रयोग किया जा सकता है, जिन्हें चरखे पर कातकर धागा बनाया जाता है।

कातने, बेचने योग्य सामग्री का उत्पादन कर ग्रामीणों में आर्थिक स्वावलम्बन और सुदृढ़ सामाजिक ताना-बाना विकसित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गयी।

मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1978 में मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम 1978 सहपठित मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग (संशोधन) अधिनियम 1979 के अन्तर्गत किया गया। मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, कारीगर प्रशिक्षण योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

बोर्ड द्वारा संचालित विभागीय उत्पादन एवं विपणन केन्द्र

- **सूती खादी केन्द्र** - खरगौन, ग्वालियर, टीकमगढ़, घाटबिरौली (बैतूल)
- **ऊनी खादी केन्द्र** - मन्दसौर, ग्वालियर, टीकमगढ़, पारड़सिंगा (छिंदवाड़ा)
- **रेशमी खादी केन्द्र** - महेश्वर (खरगौन), पारड़सिंगा (छिंदवाड़ा)
- **पोली वस्त्र खादी केन्द्र** - ताजपुर, टीकमगढ़
- **तेलघानी केन्द्र** - ग्वालियर
- **चर्म शिवण केन्द्र** - इन्दौर एवं ग्वालियर
- **प्रशिक्षण संस्थान** - इन्दौर
- **विपणन केन्द्र** - भोपाल (2), इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर
- **केन्द्रीय वस्त्रागार** - भोपाल।

योजनाएं

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग मुम्बई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार) द्वारा संचालित इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड है। योजना के तहत होने वाले कार्य -

- नए स्वरोजगार उद्यमों, परियोजनाओं, सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
- व्यापक रूप से दूर-दूर अवस्थित परम्परागत कारीगरों, ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाना और जहां तक संभव हो, स्थानीय स्तर पर ही उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करना।
- देश के परम्परागत और संभावित कारीगरों, ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगार युवाओं को निरंतर और दीर्घकालिक रोजगार उपलब्ध कराना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर उनका पलायन रोका जा सके।
- कारीगरों की पारिश्रमिक अर्जन क्षमता बढ़ाना और ग्रामीण तथा शहरी रोजगार की विकास दर बढ़ाने में योगदान करना।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जीवन यापन करने वाले कारीगर, शिल्पियों, उद्यमियों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने तथा विपणन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

कारीगर प्रशिक्षण योजना

प्रदेश में निवासरत परम्परागत, गैर परम्परागत हितग्राहियों को स्वयं के रोजगार स्थापना के पूर्व, प्रशिक्षण प्रदाय कर कौशल उन्नयन, तकनीकी दक्षता का विकास कराना।

अन्य योजनाएं व कार्यक्रम

खादी उत्पादन पर रिबेट

प्रदेश में खादी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खादी वस्त्रों के उत्पादन पर रिबेट, अनुदान योजना प्रारंभ की गई है। प्रदेश में खादी उत्पादन कार्य बोर्ड द्वारा संचालित केन्द्रों एवं आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त खादी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में उत्पादित खादी के उत्पादन मूल्य का 10 प्रतिशत उत्पादन अनुदान दिया जाता है।

कत्तिन अनुदान (स्पिनिंग हेतु सहायता)

प्रदेश में खादी उत्पादन को प्रोत्साहित करने एवं कत्तिनों को कताई कार्य हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजनान्तर्गत कत्तिनों को अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, ताकि खादी के क्षेत्र में उनकी रुचि बनी रहे।

कच्चा माल सहायता

खादी एवं ग्रामोद्योग के उत्पादन केन्द्रों द्वारा कच्चा माल क्रय कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग ग्रामीण हितग्राहियों, दस्तकारों को भी प्रदाय किया जाता है, ताकि उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो और हितग्राहियों को नियमित रोजगार सुलभ हो सके।

प्रचार-प्रसार

बोर्ड द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योगों का विकास एवं संवर्धन करने के उद्देश्य से चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का प्रभावशाली ढंग से प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों (आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रेस, मीडिया, भेंटवार्ताओं का आयोजन एवं मेले प्रदर्शनियों में भाग लेकर प्रत्यक्ष प्रदर्शन आदि) से किया जाता है ताकि जनमानस को इस क्षेत्र की गतिविधियों की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके एवं उनका प्रचार-प्रसार हो सके।

विपणन सहायता

बोर्ड द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों, विभागीय केन्द्रों द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योगों के तैयार उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराकर विपणन सुविधा दी जाती है। इसके अंतर्गत मेले, प्रदर्शनियों में भाग लेना, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, प्रचार-प्रसार एवं सामग्री का तत्काल भुगतान करना सम्मिलित है।

अधोसंरचना विकास सहायता

इसके तहत उत्पादन केन्द्रों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने में किया जाता है, ताकि इस क्षेत्र में लगे कत्तिनों, बुनकरों एवं कारीगरों को निरंतर रोजगार प्राप्त हो सके एवं उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होने से उनकी आय में भी वृद्धि हो सके। अधोसंरचना अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग उत्पादन से संबंधित एडिशन-अल्ट्रेशन, कम्प्यूटरीकरण, रिपेयरिंग आदि हेतु किया जाता है।

एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम

किसी उद्योग विशेष या क्षेत्र विशेष में क्लस्टर के रूप में ग्रामोद्योगों की स्थापना से उद्योग, क्षेत्र का विकास व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध तरीके से किया जा सकता है।

खादी तथा ग्रामोद्योग उत्पादन के प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण की योजना

प्रदेश के ग्रामोद्योग उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ाने तथा विकास कार्यों का अभिलेखीकरण जिसमें डिजाईन डिक्शनरी प्रकाशन, ब्रोशर प्रिंटिंग, परियोजना प्रतिवेदन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग तथा बेस्ट प्रेक्टिसेस आदि के अभिलेखीकरण की व्यवस्था है।

उद्यमियों, स्व-सहायता समूहों तथा अशासकीय संस्थाओं को सहयोग

खादी तथा ग्रामोद्योग से सम्बद्ध व्यक्तियों, उद्यमियों, स्व-सहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाओं आदि को नवीन एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, डिजाईन विकास, उत्पादन परिवर्तन, विपणन एवं निर्यात से जुड़ी हुई गतिविधियों की सहायता के लिये योजना का संचालन किया जाता है।

स्पेशल प्रोजेक्ट

खादी तथा ग्रामोद्योग के प्रमुख क्लस्टरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं आर्थिक उत्थानों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, डिपार्टमेंट फॉर इन्टरनेशनल डेव्हलपमेंट (DFID) आदि के सहयोग देने से परियोजना क्रियान्वयन में भागीदारी के लिये प्रदेश में संचालित उत्पादन केन्द्रों में कार्यरत कारीगरों, कत्तिनों एवं बुनकरों के लाभ के लिये योजनायें संचालित कर उन्हें लाभांवित किया जाता है।

अनुसंधान एवं विकास हेतु सहायता

बोर्ड द्वारा अपने विभागीय केन्द्रों में उत्पादित सामग्री को और अधिक आकर्षण एवं मांग के अनुरूप बनाने की दृष्टि से निरंतर अनुसंधान विकास का कार्य किया जाता है।

बोर्ड अमले को तकनीकी प्रशिक्षण

बोर्ड के अधिकारियों, कर्मचारियों को समय-समय पर कार्यालयीन व्यवस्था, कम्प्यूटर कार्य, सूचना का अधिकार, विपणन, लेखा एवं व्यवस्थित तरीके से नियमानुसार कार्यालयीन कार्य निष्पादन के लिये विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है।

● **प्रस्तुति : अर्चना शर्मा**

रेशम उद्योग

सृजन से स्वरोजगार तक

मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास और समाज के कल्याण में कुटीर एवं ग्रामोद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन्हीं उद्योगों के माध्यम से प्रदेश में निवासरत ग्रामीणों की आजीविका का निर्वहन होता है। स्वरोजगार का एक सार्थक पहलु जो कुटीर एवं ग्रामोद्योग के अंतर्गत ही आता है वह है रेशम उद्योग। रेशम संचालनालय द्वारा संचालित मलबरी स्वावलंबन योजना, मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम तथा टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को स्वरोजगार स्थापित करने की पहल की जा रही है।

मध्यप्रदेश की स्थापना से ही रेशम गतिविधियों को प्रारंभ किया गया है। इन गतिविधियों का संचालन उद्योग विभाग के अंतर्गत मुख्यतः मालवांचल एवं होशंगाबाद क्षेत्र में प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1977 से अगस्त 1984 तक गतिविधियों का संचालन मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम के अधीन था। सितम्बर 1984 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत पृथक से रेशम संचालनालय का गठन किया गया। 1986 में ग्रामोद्योग विभाग का गठन किया गया एवं रेशम विभाग 1986 से ग्रामोद्योग विभाग के अधीन कार्यरत है।

रेशम संचालनालय की भूमिका मध्यप्रदेश के परंपरागत ग्रामोद्योगों के संवर्धक, समग्र विकास, रोजगार बढ़ाने, ग्रामोत्पादों की गुणवत्ता का विकास, कौशल उन्नयन से है।

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों के आर्थिक, सामाजिक असंतुलन को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। रेशम संचालनालय द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण, भूमिहीन कृषक एवं आदिवासी बहुल जिलों के गांवों में ऐसे परिवारों को आजीविका के बेहतर साधन, संस्थान और अवसर उपलब्ध कराना है जिनके पास या तो बहुत कम साधन हैं या जो संसाधन विहीन हैं।

रेशम संचालनालय के उद्देश्य

- प्रदेश के ग्रामीण अंचल से निवास करने वाले आदिवासी तथा अन्य गरीब तबके के लोगों को रेशम उद्योग के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराना।
- कोसा उद्योग के अंतर्गत नैसर्गिक प्रजाति का प्रगुणन एवं पालित प्रजाति की गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा इस कार्य से जुड़ें लोगों की आय में वृद्धि करना।
- योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु स्थानीय हितग्राहियों का चयन कर समाहित समूह बनाकर कार्य सम्पादन करना।
- रेशम उत्पादन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना।
- उन्नत किस्म के बीज उत्पादन हेतु रेशम बीज उत्पादन के लिए रेशम बीज केन्द्रों व ग्रेनेज का वैज्ञानिक पद्धति से सुदृढ़ीकरण करना।
- शहतूत, टसर, इरी पौधरोपण को बढ़ावा देना।
- नवीन तकनीकों से रेशमी धागों के उत्पादन में गुणात्मक सुधार लेना।
- कौशल उन्नयन तथा तकनीकी हस्तांतरण का निरंतर प्रयास करना।

रेशम संचालनालय के दायित्व

- राज्य के कृषकों की खेती को लाभ का धन्धा बनाने के उद्देश्य से, कृषकों को अपनी भूमि पर मलबरी रोपण एवं कीटपालन हेतु प्रोत्साहित करना।
- बाजारोन्मुखी उत्पादन को बढ़ावा देने

के लिए ककून तथा रेशम धागे में गुणात्मक तथा मात्रात्मक सुधार लाना व कौशल उन्नयन एवं तकनीकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करना।

- रेशम उद्योग के प्रबंधन में हितग्राहियों और स्टेकहोल्डर की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
- मूल्य अभिवृद्धि की गतिविधियों को प्रोत्साहित कर विपणन को बढ़ावा देना।
- प्रदेश के वनों का संवहनीय दोहन कर टसर उत्पादन का विकास करना।

रेशम संचालनालय द्वारा संचालित योजनाएं

प्रशिक्षण एवं अनुसंधान

इस योजना का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के तकनीकी एवं लेखा प्रशिक्षण देना व कृषकों और हितग्राहियों को रेशम गतिविधियों का प्रशिक्षण और एक्सपोजर भ्रमण कराना है। इस योजना के अंतर्गत मार्केटिंग सर्वे, मलबरी बीज के उत्पादन कार्य एवं मलबरी बीज केन्द्रों का संधारण कार्य संपन्न कराया जाता है।

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत रेशम संचालनालय के अधीन 2 मिनी आई.टी.आई. क्रमशः वारासिवनी (जिला बालाघाट) एवं सारंगपुर (जिला राजगढ़) में संचालित है, जिनमें कृमिपालन, धागाकरण एवं वस्त्र बुनाई ट्रेड के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है।

मलबरी स्वावलंबन योजना

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 99 शासकीय रेशम केन्द्र, जो न्यूक्लियस केन्द्र के रूप में संचालित हैं, उनके माध्यम से निजी क्षेत्र के हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं नवीन तकनीक हस्तांतरण की जानकारी दी जाती है। शासकीय स्वावलंबन केन्द्रों पर उपलब्ध शहतूती पौधरोपण का सामान्यतः 01-01 एकड़ क्षेत्र के उत्पादन का अधिकार रेशम कृमिपालन कार्य करने के लिये हितग्राहियों को आवंटित किया गया है।

मलबरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम

मध्यप्रदेश में रेशम विकास विस्तार का कार्य लगभग 44 जिलों में संचालित किया जा रहा है। प्रदेश के निजी क्षेत्रों में शहतूती पौधरोपण का कार्य वृहद रूप से विस्तारित किया गया है। मलबरी रेशम कृमिपालक को द्वितीय अवस्था तक रेशम कृमियों को पालकर चॉकी प्रदाय की जाती है। रेशम कृमिपालकों को रियायती दर पर मलबरी के अण्डे प्रदाय किये जाते हैं, इसके अतिरिक्त हितग्राहियों को स्व-समूह कृमिपालन हेतु

चॉकी, विसंक्रमण नर्सरी कार्य, कटिंग उपलब्धता, परिवहन प्रशिक्षण, संधारण, अन्य प्रभार तथा आधारभूत संरचना जैसे कृमिपालन गृह/फेंसिंग/सिंचाई सुविधा एवं उपकरण आदि निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रदान की जाती है।

टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम

टसर कोया उत्पादन

पालित : इस योजना के माध्यम से प्रदेश के मुख्यतः आदिवासी एवं वनों के करीब रहने वाले अन्य निवासियों को वन क्षेत्रों में टसर कृमिपालन कर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। कीटपालन करने वाले हितग्राहियों को निरोगी अण्डे संचालनालय के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते हैं। कृमिपालन का कार्य वन क्षेत्रों में उपलब्ध साजा, अर्जुन एवं लेंडिया के वृक्षों पर होता है।

नैसर्गिक : प्रदेश में मुख्यतः होशंगाबाद, नरसिंहपुर, मण्डला, अनूपपुर, शहडोल, सिवनी एवं बालाघाट इत्यादि जिलों के साल/अर्जुन वनों से नैसर्गिक रूप में टसर कोसा का उत्पादन होता है जहाँ ककून के उत्पादन स्तर को लगातार बनाये रखने के लिये विभाग द्वारा प्रगुणन कैम्प लगाये जाते हैं। वनों में उत्पादित ककून को स्थानीय हितग्राही एकत्रित कर स्थानीय हाट-बाजार में विक्रय कर आय अर्जित करते हैं।

उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम

मलबरी : मलबरी रेशम को निजी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिये कृषकों की निजी भूमि में शहतूती पौधरोपण के लिये विस्तार कार्यक्रम लिया गया है। इसके अंतर्गत छोटे एवं मध्यम किसानों की निजी भूमि पर मलबरी पौधरोपण कराया जाता है। जिसमें कृमिपालकों को पौधरोपण, प्रारंभिक कृमिपालन उपकरण, कृमिपालन भवन तथा सिंचाई सुविधा आदि उपलब्ध कराये जाते हैं।

टसर : टसर क्षेत्र में कृमिपालन कर रहे हितग्राही को खाद्य पौधरोपण तथा चॉकी उद्यान के उचित रख-रखाव तथा कृमिपालन उपकरण हेतु सहायता अनुदान प्रदान की जाती है।

इरी रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम

प्रदेश में कृषकों को अनुपयोगी भूमि पर

● **नवीन शर्मा**
(लेखक स्तंभकार हैं)

मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड

मध्यप्रदेश की मिट्टी शिल्प के लिए आदर्श है। यहाँ माटी शिल्प की अपनी परम्परा है। इसी परम्परा को समृद्ध और विकसित करने का संकल्प लिया है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मिट्टी का कार्य करने वाले कारीगरों को परम्परागत सामग्री के साथ उन्नत श्रेणी की मूर्तियां, खिलौने सजावटी वस्तुएं तथा उपयोगी सामान बनाने के लिए आयोजना बनीं और फिर प्रदेश में 5 जून 2008 को माटीकला बोर्ड की स्थापना की गई।

प्रदेश के कुम्हारी (पॉटरी) एवं मिट्टी का कार्य करने वाले कारीगरों के व्यवसाय की वृद्धि, तकनीकी सुविधा तथा विपणन आदि सुविधा उपलब्ध कराने के लिये गठित मध्यप्रदेश माटीकला बोर्ड मध्यप्रदेश शासन कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत कार्यरत है।

चूंकि प्रदेश का कुम्हार परम्परागत रूप से मिट्टी के मटके, सुराही, हण्डे एवं अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुओं का निर्माण कर रहा है जिनकी मांग वर्तमान परिवेश में कम हुई है।

माटीकला बोर्ड द्वारा प्रदेश में मिट्टी से संबंधित उद्योगों से जुड़े कारीगरों, शिल्पियों को आधुनिक तकनीकी का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। शिल्पियों को देश के अन्य प्रदेशों में हो रहे उत्कृष्ट उत्पादों का निर्माण करने के लिये आवश्यक मूलभूत सुविधा की जा रही है जिससे कुंभकार समाज का आर्थिक और सामाजिक उत्थान हो।

माटीकला बोर्ड के उद्देश्य

- माटी कार्य कुम्हारी (पॉटरी) एवं शिल्प उद्योग के लिये नई नीति का निर्माण करने तथा विनियोजन अनुदान वेट टेक्स विद्युत दरों आदि में इन उद्योग को सुविधा प्रदान करने पर सुझाव देना।
- तकनीकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण के संबंध में प्रभावी योजना बनाना एवं धनराशि की व्यवस्था करना।
- माटीकला से संबंधित कार्य करने वाले केन्द्रीय एवं प्रांतीय संस्थाओं जैसे विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) विकास आयुक्त (हथकरघा) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से समन्वय स्थापित करना ।
- केन्द्र सरकार राज्य शासन एवं सार्वजनिक क्षेत्र से माटी का कार्य करने वालों को सुविधाएं और सेवायें उपलब्ध कराने के संबंध में समन्वय की व्यवस्था करना।
- माटी का कार्य करने वाले कारीगरों और उद्योगों की समस्याओं का निराकरण करने का सुझाव देना।

माटीकला बोर्ड के प्रयास

- मध्यप्रदेश के हर जिले में मिट्टी प्रचुर मात्रा में मिलती है, अतः मिट्टी का कार्य करने वाले कारीगरों को परम्परागत सामग्री के साथ-साथ उन्नत श्रेणी की मूर्तियां, खिलौने, सजावटी वस्तुएं तथा उपयोगी सामग्री निर्माण करने की ओर प्रेरित किया जा रहा है।
- सामान्य मिट्टी के बर्तनों के स्थान पर टेराकोटा, सिरेमिक, टाईल्स तथा कबेलू के निर्माण की ओर प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
- माटी शिल्प विकास के लिये सर्वोच्च प्राथमिकता उन्नत प्रशिक्षण की है ताकि इस वर्ग के हितग्राहियों की गुणवत्ता में वृद्धि तथा कार्यक्षमता बढ़ने से आय एवं जीवनस्तर में सुधार हो सके। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 500 लोगों को उन्नत प्रशिक्षण दिये जाने का लक्ष्य है।
- माटी शिल्प के विकास के लिये प्रमुख क्लस्टर का चयन कर उन्हें विकसित किया जा रहा है। प्रतिवर्ष 500 विद्युत चलित शैला चाक का वितरण कर

क्षमता वृद्धि तथा गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयासरत है।

- गुणवत्ता क्षमता एवं कला के विकास के लिये राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्राप्त संस्थाओं का सहयोग लिया जा रहा है।
- माटी शिल्प के उत्पादन, रोजगार एवं इससे जुड़े लोगों का आर्थिक सर्वेक्षण कर उनके जीवन स्तर में वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है।
- स्थानीय बाजार को सुदृढ़ किया जा रहा है ताकि परप्रान्तीय सामग्री के स्थान पर प्रदेश में निर्मित सामग्री का बाजार बन सके।
- नवीन पीढ़ी को इस उद्योग से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

गतिविधियाँ

- प्रदेश के कुंभकार समाज के उत्कृष्ट शिल्पियों को प्रोत्साहन के लिये राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
- प्रदेश में प्रोडक्ट डायवर्सिफिकेशन के अंतर्गत सिरेमिक उत्पाद का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- प्रदेश के बाहर स्थापित उत्कृष्ट संस्थानों में प्रदेश के माटी शिल्पियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- विद्युत चलित शैला चाक के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
- विपणन के लिए प्रदेश के जिलों में आयोजित होने वाले मेले प्रदर्शनियों में भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना
(1 अगस्त-2014 से प्रारंभ)

योजना का कार्यक्षेत्र : योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश है।

योजना का उद्देश्य : योजना का उद्देश्य नवीन उद्यमों की स्थापना करने के लिए उपकरण और कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

एक अगस्त 2014 से प्रारंभ इस योजना में रुपये 20,000 से रुपये 10,00,000 तक परियोजना लागत वाले माटी उद्योग प्रारंभ किये जा सकते हैं।

- योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिये स्वयं का उद्योग (विनिर्माण), सेवा, व्यवसाय स्थापित करने के लिये बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जा रहा है।

माटीकला उद्यमियों को प्रशिक्षण योजना

प्रदेश के माटीकला से संबंधित गतिविधियों में संलग्न उद्यमियों, शिल्पियों, कारीगरों को उन्नत तकनीकी व रूपांकन का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि वे अपने उत्पादों को बाजार मांग के अनुरूप तैयार कर सकें।

प्रशिक्षणार्थी की पात्रता

मध्यप्रदेश में निवासरत 18 वर्ष न्यूनतम उम्र वाले ऐसे महिला एवं पुरुष जो स्वयं मिट्टी से संबंधित उत्पादों का निर्माण कर विक्रय कार्य में संलग्न हो। इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

माटीकला प्रचार-प्रसार योजना

- प्रदेश के माटीकला के उद्यमियों, शिल्पियों, कारीगरों के लिये संचालित की जाने वाली योजनाओं के संबंध में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिये प्रचार प्रसार किया जाता है।
- माटी शिल्प को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी का कार्य करने वाले तीन उत्कृष्ट शिल्पियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पुरस्कृत किया जाता है।
- माटी शिल्प को आम जनता में लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदेश के अंदर, बाहर हाट बाजार, मेले एवं प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिये सहायता उपलब्ध की जाती है।
- प्रदेश के प्रजापति समाज के कामगारों,

शिल्पियों को प्रोत्साहन देने के लिये प्रति वर्ष 3 उत्कृष्ट शिल्पियों को पुरस्कार दिया जाता है।

- प्रथम पुरस्कार रुपये 1,00,000
- द्वितीय पुरस्कार रुपये 50,000
- तृतीय पुरस्कार रुपये 25,000

नवीन योजनाएं (वर्ष 2013-14 से प्रारंभ)

मुख्यमंत्री ब्याज अनुदान योजना

- **योजना का उद्देश्य** : कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अधीन कार्यरत घटकों के अंतर्गत हरकरघा बुनकरों, शिल्पियों, माटीकला, अन्य उद्यमियों एवं कृषकों को उत्पादन एवं विपणन गतिविधियों के लिए विभिन्न बैंकों से लिए गए पूंजीगत ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण (सीमा ऋण) पद 5 प्रतिशत पूंजीगत दर से ब्याज अनुदान दिया जाता है।

कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन नियम-2015

- **योजना का आच्छादन** : बेरोजगार युवाओं एवं अल्पकालीन रोजगार प्राप्त हितग्राहियों को खादी ग्रामोद्योग, रेशम हस्तशिल्प, हथकरघा, माटीकला एवं संबद्ध गतिविधियों (एडिशनल स्किल व एलाइड वर्क) में कौशल विकास के लिए उन्नत प्रशिक्षण देना।
- **क्रियान्वयन एजेन्सी** : शासकीय विभाग, निगम, बोर्ड, क्लस्टर क्लब एवं राज्य स्तरीय क्लस्टर डेवलपमेन्ट सेल, अर्धशासकीय संस्थाएं।

मध्यप्रदेश के माटी शिल्पियों को राज्यस्तरीय पुरस्कार योजना

- **पृष्ठभूमि का उद्देश्य** : प्रदेश के माटी शिल्पियों को कलात्मक सृजन के लिए प्रोत्साहित करने के लिये राज्यस्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जाने का प्रावधान है। यह सम्मान माटी शिल्पियों को श्रेष्ठ कलात्मक सृजन के लिए प्रेरित करता है, जिससे निश्चित ही प्रदेश की माटी शिल्पकला और अधिक समृद्ध होगी।

माटीकला उत्पाद

परम्परागत उत्पाद

- मटका, सुराही
- कुल्हड़, करवा
- खपरैल
- ईंट
- दीपावली के दिये एवं पूजा के लिये छोटे बरतन।

नवीन उत्पादन

- सिरेमिक की कलात्मक वस्तुएं
- टेराकोटा की कलात्मक वस्तुएं
- आदिवासी टेराकोटा मुखौटे
- पॉटरी पर कोन वर्क
- घरेलू सजावट की वस्तुएं
- टेराकोटा ज्वैलरी
- बड़े सजावटी पॉट
- झूमर
- तवे आदि।

● **प्रस्तुति : अभिषेक सिंह**

संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम

संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत हस्तशिल्प एवं हथकरघा सेक्टर में विकासात्मक एवं प्रोत्साहनात्मक गतिविधियों का संचालन करती है। निगम द्वारा परम्परागत शिल्प को सहेजने के साथ बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित स्वरोजगार में लगे शिल्पियों व बुनकरों के लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध किये जा रहे हैं।

निगम द्वारा मध्यप्रदेश की अद्वितीय धरोहर शिल्प संस्कृति व संवर्धन का संरक्षण व रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रदेश के शिल्पियों व बुनकरों के लिये अनुदान पर औजार, तकनीकी-रूपांकन मार्गदर्शन व अधोसंरचना उपलब्ध की जा रही है। ताकि शिल्पी अपने पैत्रक व्यवसाय में ही कार्य करते रहें और सम्मानपूर्वक आजीविका अर्जित कर अपनी परम्परा व संस्कृति का संरक्षण कर सकें।

मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम के प्रयास

- ऐसा नेटवर्क विकसित करना जिससे शिल्पियों व बुनकरों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने व ग्राहकों को बिक्री में मदद मिले।
- बदलते समय, मांग व पसंद के अनुरूप उत्पादन करवाने के लिये शिल्पियों का कौशल उन्नयन व उनके उत्पाद का मूल्य संवर्धन कर उनकी लाभ का मार्जिन बढ़ाकर हित संवर्धन किया जा रहा है।
- अधोसंरचना का विकास, कच्चे माल की उपलब्धता, रूपांकन, गुणवत्ता नियंत्रण व विपणन सहायता प्रदाय की जाती है जिससे वे आजीविका कमाने के साथ-साथ अपनी आमदनी भी बढ़ा सकें।
- निगम द्वारा ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है जिसमें परम्परागत शिल्प शिल्पियों की आजीविका का साधन बन उनकी गरीबी दूर करें। बुनियादी सुविधाओं से वंचित सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के शिल्पियों व महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- राज्य की शिल्प संस्कृति की जीवन्त धरोहर का संरक्षण-संवर्धन व बढ़ौत्री के लिये शिल्प के इतिहास, परम्परा व उत्पादन प्रक्रिया का अभिलेखीकरण किया जा रहा है।

उद्देश्य

- कौशल उन्नयन के लिये प्रशिक्षण, अधोसंरचना का विकास।
- राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बदलती मांग के अनुरूप उत्पादन बनवाने के लिये तकनीकी व रूपांकन मार्गदर्शन।
- उत्पादन क्षमता व गुणवत्ता में सुधार के लिये अनुदान पर औजार उपलब्ध कराना।
- विलुप्त हो रहे शिल्पों का संरक्षण व संवर्धन।
- शिल्प व हथकरघा परम्परा के इतिहास व परम्परा का अभिलेखीकरण।
- शिल्पियों व बुनकरों को विपणन सहायता।
- मूल्य संवर्धन के लिये अनुसंधान व विकास।
- शिल्पियों में उद्यमिता विकास के लिये प्रशिक्षण, स्व-सहायता समूहों व उद्यमियों को प्रोत्साहन।
- रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये प्राइवेट सेक्टर के साथ मार्केटिंग लिंकेज।

शिल्पकार का विकास

- शिल्पकार का विकास प्रशिक्षण, बुनियादी कौशल विकास, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, मास्टर शिल्प व्यक्ति से मार्गदर्शन तथा सब्सिडी पर उपकरण प्रदाय कर किया जा रहा है।

गतिविधियाँ

सभी विकासात्मक योजनाओं का अंतिम उद्देश्य उत्पादों की बिक्री है। निगम द्वारा शिल्पियों व बुनकरों को निम्नानुसार विपणन सहायता दी जाती है

व्यावसायिक गतिविधि

उच्च गुणवत्ता के शिल्प व हथकरघा वस्त्रों का बाजार की मांग व निगम की क्रय विक्रय क्षमता के अनुरूप एम्पोरियमों में बिक्री के लिए क्रय किया जा रहा है।

विज्ञापन संबंधी गतिविधियाँ

देश भर में आयोजित प्रदर्शनियों व मेलों में डायरेक्ट मार्केट लिंकेज के लिए शिल्पियों तथा बुनकरों को सीधे ग्राहकों व व्यापारियों के सम्पर्क में लाने का प्रयास किया जा रहा है।

सरकार की आपूर्ति

क्लस्टर्स में आने वाले थोक व्यापारियों को शिल्पियों व बुनकरों से मिलवाया जाता है ताकि वे अपने उत्पाद सीधे प्रायवेट सेक्टर को बेच सकें। इसके अलावा शिल्पियों, बुनकरों को बाजार अध्ययन के लिए महानगरों में भेजा जाता है।

संस्थागत गतिविधियाँ

हथकरघा व हस्तशिल्प क्लस्टर्स में 29 विकास केन्द्रों का नेटवर्क है, 23 मृगनयनी एम्पोरियम (10 प्रदेश के बाहर) है तथा इन्दौर, भोपाल व ग्वालियर में अर्बन हाट है।

उपलब्धियाँ

वर्ष	लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या
2015-16	32787
2014-15	29596
2013-14	26296
2012-13	18783
2011-12	18610

योजनाएं

विकासात्मक योजनाएं

एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजना 2004 (संशोधित 2011)

योजना का क्रियान्वयन - ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत क्लस्टरों को विशिष्ट बनाना, वर्तमान क्लस्टरों को सुदृढ़ करना तथा नवीन क्लस्टरों को विकसित करना, क्लस्टरों में वित्तीय समर्थन को बढ़ाने के लिये डायग्नोस्टिक स्टडी करना, नवीन एवं आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन तथा विकास, अन्य आवश्यक इनपुट, डिजाइन, बाजार लिंकेज, सलाहकारों की सेवाएँ लेना, कमियों को चिन्हित करने के लिये अध्ययन, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, क्लस्टर में लघु एवं मध्यम उद्यमियों, अशासकीय संस्थाओं को समर्थन देने के लिए सेमीनार, वर्कशाप, अध्ययन भ्रमण आदि का आयोजन करना तथा अन्य हथकरघा संबंधी गतिविधियों/आवश्यकताओं के लिए सहायता करना।

क्लस्टर अंतर्गत बुनियादी आवश्यकता सड़क, नाली, पेयजल, विद्युत प्रदाय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं, अधोसंरचना, प्री-लूम, पोस्ट लूम सुविधाओं की स्थापना करना शामिल है।

- **क्रियान्वयन एजेन्सी -** शासकीय विभाग, शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाएँ, स्थानीय निकाय, निगम, बोर्ड, क्लस्टर क्लब तथा राज्य स्तरीय क्लस्टर डेवलपमेंट सेल।

सहायता स्वीकृति की प्रक्रिया

- राशि रुपये 10.00 लाख तक की वित्तीय स्वीकृति के अधिकार विभागाध्यक्ष को हैं।
- राशि रुपये 10.00 लाख से अधिक के प्रस्तावों का परीक्षण आयुक्त, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, संचालक, रेशम, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम एवं प्रबंध संचालक, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की संयुक्त छानबीन समिति द्वारा की जाकर यह प्रमाणित किया जाएगा कि सहायता स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में शामिल हितग्राही गतिविधियां की अन्य घटक के प्रस्तावों की द्विरावृत्ति (Duplication) नहीं हुई है। प्रस्तावों की स्वीकृत राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा दी जावेगी जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग होंगे तथा सदस्य विभाग प्रमुख एवं घटकों के प्रबंध संचालक सदस्य होंगे। समिति की स्वीकृति उपरांत स्वीकृति कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के संबंधित घटक के विभागाध्यक्ष द्वारा जारी की जावेगी।

● प्रस्तुति : बविता अग्रवाल

रीजनल सरस मेला 2016

भोपाल हाट मेले में प्रदेश सहित सत्रह राज्यों के स्व-सहायता समूह शामिल हुए

एक ही जगह पर कई वैरायटीज को देखने शहरवासी राजधानी के भोपाल हाट में लगे रीजनल सरस मेले में पहुंचे। वे यहां आकर निराश नहीं हुए। उन्हें यहां पर डिफ्रेंट वैरायटीज के होम डेकोरेटिव आयटम की रेंज मिली। महिलाओं के लिये सिल्क साड़ियां, हेण्डलूम टॉप, चन्देरी साड़ी सूट, ब्लॉक प्रिंट, शिल्क साड़ी, रेडीमेड कुर्ते, जरी वर्क, कॉटनसिल्क साड़ियां, चर्म शिल्प, कोनवर्क, मीनाकारी, वेनकलकारी आर्टस् कॉटन सूट्स, बनारसी साड़ियों की विशाल रेंज मौजूद थी।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आयोजित इस रीजनल सरस मेले में मध्यप्रदेश को मिलाकर 17 राज्यों के 167 स्व-सहायता समूहों ने भाग लिया। जिनमें से कुल 229 स्वरोजगारधारियों ने स्वयं के द्वारा तैयार किये गये उत्पादों को विक्रय के लिये रखा गया। इस सरस मेले में पुरुष स्वरोजगारों की अपेक्षा महिला स्वरोजगारियों की संख्या ज्यादा रही। कुल 229 स्व-रोजगारियों में 174 महिला व 55 पुरुष स्वरोजगारी ही मेले में अपना सामान विक्रय करने आए। प्रदेश के लिये यह भी गौरव की बात है कि 167 स्व-सहायता समूहों में से मध्यप्रदेश के 76 स्व-सहायता समूहों ने सरस मेले में भाग लिया। प्रदेश के कुल स्व-रोजगारियों की संख्या 94 थी, जिनमें से 65 महिला स्वरोजगारियों की विशेष भूमिका रही। महिलाएं आर्थिक रूप से किस तरह आत्मनिर्भर बन रही हैं इसका जीता-जागता उदाहरण रहा रीजनल सरस मेला-2016। यहां जिस तरह महिला स्वरोजगारियों ने बढ़-चढ़ पार्टिसिपेट किया और स्वयं के बनाये व डिजाइन किये उत्पादों को विक्रय हेतु रखा, इससे उनकी पूर्ण दक्षता साफ नजर आई।

मेले में डेढ़ दर्जन राज्यों के स्व-रोजगारियों ने भाग लिया। उनके उत्पादों की भिन्नता व गुणवत्ता ने मेले में घूमने आए लोगों को विभिन्न प्रकार की वैरायटी के ऑप्शन को बनाए रखा। लोगों ने पूरे 12 दिन तक चलने वाले इस मेले का लुत्फ बखूबी उठाया। दिवाली के पहले कपड़े व घर की सजावट के सामान की मांग बढ़ जाती है और इसी कमी को पूरा किया रीजनल सरस मेले ने।

मेले का आर्कषण बने ये आयटम्स

फ्लावर पॉट, लाफिंग बुद्धा, कछुआ, भगवान गणेश, राधा-कृष्ण, कोन वर्क, तोरन, वॉल हैगिंग्स, डेकोरेटिव मिरर, हट, फ्लॉवर वॉस, डेकोरेटिव बॉटल्स, बैम्बू आर्ट, जूट से बनी चीजें, वॉल सिनरी, मिरर वर्क, सिल्क की साड़ियां, टॉप्स, चन्देरी साड़ी सूट, ब्लॉक प्रिंट, सिल्क साड़ी, रेडीमेड कुर्ते, जरी वर्क, कॉटन सिल्क साड़ियां, चर्म शिल्प, कोन वर्क, मीनाकारी, वेनकलकारी आर्टस्, कॉटन के सूटस्, बनारसी साड़ियां, मधुबनी पेंटिंग, फुलकारी सूट, ड्रेस मटेरियल, कॉपर लैम्प, हर्बल उत्पाद, नाइट लैम्प, चूड़ियां, हैण्डवर्क ज्वैलरी, खादी शर्ट, हैण्डवर्क लेडीज टॉप, आर्टिफिशियल ज्वैलरी, कपड़ों की आदिवासी गुड़िया, बीडवर्क, रोट आयरन व वुड कार्बिन से बना कैंडल स्टेंड, फ्रूट बास्केट, बेबी चेयर सेट, सोफा सेट आयुर्वेदिक चूर्ण आदि। इसके अलावा लेदर

रीजनल सरस मेला 2016-17

क्र.	राज्य	कुल समूहों की संख्या	महिला	पुरुष	कुल स्वरोजगारी	रिमार्क
1	महाराष्ट्र	13	12	10	22	
2	त्रिपुरा	3	6	-	6	
3	बिहार	5	6	1	7	
4	झारखण्ड	1	2	-	2	
5	आंध्रप्रदेश	9	10	8	18	
6	तेलंगाना	3	3	3	6	
7	उड़ीसा	3	5	-	5	
8	छत्तीसगढ़	11	12	1	13	
9	उत्तरप्रदेश	16	21	-	21	
10	उत्तराखण्ड	5	5	-	5	
11	गोवा	5	7	1	8	
12	सिक्किम	5	6	1	7	
13	जम्मू कश्मीर	1	1	-	1	
14	हरियाणा	3	3	-	3	
15	पंजाब	5	7	-	7	
16	राजस्थान	2	2	-	2	
17	तमिलनाडु	1	1	1	2	
योग		**91**	**109**	**26**	**135**	
1	मध्यप्रदेश	76	65	29	94	जिले
महायोग		**167**	**174**	**55**	**229**	

आयटम्स, क्रॉकरी, अगरबत्ती, पापड़, बड़ी, गजक, पेठा, मुरब्बा, आचार, जलगांव का शुद्ध घी, लकड़ी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन आदि की कई वैरायटीज मेले में मौजूद थीं।

दुकानदारों ने कहा

कलाकृति आर्ट क्रिएशन और कला क्रॉफ्ट ग्रुप, भोपाल की प्रतिनिधि लड़कियों ने बताया कि दिवाली से पहले खरीदारी करने का अपना ही मजा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने शहरवासियों के लिये तोरन, पेपर ज्वैलरी, पूजा थाली, वॉल हैंगिंग्स, पेंटिंग, डेकोरेटिव दीये, डेकोरेटिव बॉटल्स व अन्य डेकोरेटिव आयटम्स की डिफ्रेंट वैरायटीज रखी। हमें हमारे डेकोरेटिव आयटम्स के लिये लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिला।

त्रिपुरा से अपना बैम्बू आर्ट लेकर आए निमाई जबनार बताते हैं कि बैम्बू आर्ट से बनी चीजों से लोग अपने घरों को अच्छा लुक दे सकते हैं। बैम्बू आर्ट से डेकोरेटिव लैम्प, सिनरी, वॉल सिनरी, ट्रे पेपर्स, वॉल हैंगिंग्स आदि चीजों से घर को डिफ्रेंट लुक दिया जा सकता है।

सागर से आए आशीष ने बताया कि हम पाचक कैंडियों की कई वैरायटीज लेकर आए हैं। यह कैंडिया लोगों के पाचन सम्बंधी बीमारियां को दूर भगाती हैं। हमारी कैंडियों

को बहुत से लोगों ने पसंद किया।

वुड पर पेपरमेसी का काम करने वाली भोपाल की गायत्री मालवीया बताती हैं कि दिवाली के हिसाब से लोग डेकोरेटिव सामान खरीदने आए। उन्हेंने वंदनवार, दीये, फोटोफ्रेम, की-होल्डर, नेमप्लेट आदि को खूब पसंद किया।

लोगों का कहना था

श्रीमती वैशाली बासु कहती हैं कि हम तो परिवार के साथ मेला घूमने आये थे, लेकिन कोनवर्क, तोरन व डेकोरेटिव मिरर ने हमें मजबूर कर दिया कि हमें इन्हें घर जरूर ले जाना चाहिए। पूरा मेला घूमा कई चीजें अच्छी लगीं, लेकिन सलेक्शन के बाद हमने डेकोरेटिव मिरर, तोरन व कोन वर्क से बनी चीजें ही खरीदीं।

फ्लॉवर पॉट के शौकीन श्याम जी बताते है कि इस पर रंग-बिरंगे कलर्स व डिजाइन बहुत ही अच्छी लगती है। यह मेरे हॉल की शोभा भी बढ़ाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इसे लिया है ताकि घर का लुक और बढ़ जाये।

अरेरा कॉलोनी में रहने वाली श्रीमती विनोद कहती हैं कि दिवाली के लिये अब साधारण दीयों की जगह इन डेकोरेटिव दीयों ने ले ली है। मेले में कई सजावटी दीये आये हैं, जिनमें से मुझे इन सजावटी दीयों ने आकर्षित किया। मैं इस बार मेरे घर में यही सजावटी दीये जलाऊंगी।

प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम

मेले का एक ओर आर्कषण रहा रोजाना शाम 7 बजे होने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम। मेले में रोजाना अलग-अलग ग्रुप ने प्रस्तुती दीं। सिर्फ 14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के भोपाल दौरे पर रहने से मेले को बंद रखा गया था। सरस मेले के अंतिम दिन पुरस्कार भी वितरण किया गया।

कब शुरू हुआ सरस मेला

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 2004 से निरंतर प्रतिवर्ष रीजनल सरस मेले का आयोजन राजधानी के भोपाल हाट में किया जा रहा है।

● हरीश बाबू

(लेखक पत्रकार व स्तम्भकार हैं)

उत्कृष्ट विक्रय का पुरस्कार

प्रथम पुरस्कार - हरियाली स्व-सहायता समूह - राज्य हरियाणा
द्वितीय पुरस्कार - हंस स्व-सहायता समूह - राज्य सिक्किम
तृतीय पुरस्कार - समता महिला स्व-सहायता समूह - राज्य महाराष्ट्र

उत्कृष्ट विक्रय (मध्यप्रदेश से)

प्रथम पुरस्कार - जागरण स्व-सहायता समूह - राज्य मध्यप्रदेश
द्वितीय पुरस्कार - कबीर बुनकर स्व-सहायता समूह - राज्य मध्यप्रदेश
तृतीय पुरस्कार - जयबालाजी स्व-सहायता समूह - राज्य मध्यप्रदेश

उत्कृष्ट उत्पाद
(मध्यप्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों से)

प्रथम पुरस्कार - खुदीराम ज्योति सहायता समूह - राज्य त्रिपुरा
द्वितीय पुरस्कार - गुरूकृपा स्व-सहायता समूह - राज्य पंजाब
तृतीय पुरस्कार - गरबई स्व-सहायता समूह - राज्य गोवा

उत्कृष्ट उत्पाद (मध्यप्रदेश से)

प्रथम पुरस्कार - पार्वती स्व-सहायता समूह - जिला छतरपुर
द्वितीय पुरस्कार - राधा स्व-सहायता समूह - जिला देवास
तृतीय पुरस्कार - सहारा स्व-सहायता समूह- जिला झाबुआ

स्वरोजगारियों को प्रोत्साहन सम्मान

1. श्रीमती लक्ष्मी, मदर टेरेसा स्व-सहायता समूह - राज्य आंध्रप्रदेश
2. श्रीमती माला देवी, मिथिला जीवाका स्व-सहायता समूह - राज्य बिहार
3. श्रीमती शीला, दुर्गा स्व-सहायता समूह - राज्य मध्यप्रदेश
4. श्रीमती रीमा गोयल, मां राजेश्वरी स्व-सहायता समूह - राज्य मध्यप्रदेश
5. श्री रामप्रसाद, मां वैष्णो स्व-सहायता समूह - राज्य मध्यप्रदेश

स्व-सहायता समूह

अब मजदूर नहीं मालकिन कहलाती हैं

कल तक ठेकेदार के लिए दिहाड़ी पर कालीन बुनने वाली पनिहार की महिला श्रमिकों के चेहरों पर अब आत्मनिर्भरता की चमक दिखती है। वे अब 100 या 150 रुपये के लिए अपना हुनर बेचने की जगह खुद मालकिन बन गई हैं। करीब दर्जन भर महिलाओं के बनाए स्व-सहायता समूह ने उन्हें एक्सपोर्टर की हैसियत दे दी है। वे ऑर्डर लेकर कालीन बनाती हैं और वाजिब दाम पर बेचकर मुनाफा भी कमाती हैं।

हाथों के हुनर से आत्मनिर्भरता की यह कहानी ग्वालियर जिले के शिवपुरी रोड स्थित पनिहार कस्बे की है। यहां मुस्लिम समाज की कई महिलाएं सालों से कालीन बुनने का काम कर रही हैं। उनका यह हुनर बेशकीमती होने के बावजूद उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता था। वे पूंजीहीन थीं सो ठेकेदार से माल लेकर दिहाड़ी पर उसके लिए काम करती थीं। कालीन बुनकर इन महिलाओं की यह कहानी बीते दो सालों में बदल चुकी है। उनके जीवन में उमंग और उत्साह केन्द्र सरकार की राजीव गांधी वाटरशेड मिशन योजना के जरिए आया। दरअसल इस योजना के तहत जल संग्रहण के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में वंचित वर्ग को स्थायी रोजगार के लिए प्रोत्साहनस्वरूप ऋण का प्रावधान है। इस योजना के तहत गांव-गांव पात्र हितग्राहियों को ढूंढ़ने वाली जिला पंचायत ग्वालियर की टीम साल 2014 में एक दिन पनिहार गांव पहुंची। यहां टीम ने गांव की मुस्लिम बस्ती में देखा कि कई महिलाएं लकड़ी के फ्रेम पर लगन के साथ कालीन बुन रही हैं। महिलाओं से बातचीत में जब टीम को पता लगा कि इनका ये हुनर उनके लिए दो वक्त की रोटी भी बमुश्किल दे पाता है। वे तो सिर्फ ठेकेदार को बेचने के लिए कालीन बुनकर दे देती हैं। महंगे कालीन के बदले मुनाफे से उनकी दिहाड़ी पर कोई अंतर नहीं पड़ता। महिला कालीन बुनकरों की इसी पीड़ा ने पनिहार गांव में महिला सशक्तीकरण को समर्पित कालीन बुनकर महिला स्वयं-सहायता समूह की आधारशिला रखी। जिला पंचायत ग्वालियर ने वाटरशेड योजना अंतर्गत टिकाऊ आजीविका बिन्दु के तहत इस स्व-सहायता समूह का गठन कराया। इस समूह में 10 कालीन बुनकर महिलाएं सदस्य बनीं। इनमें अध्यक्ष हसीना बाई के नेतृत्व में महिलाओं के स्व-सहायता समूह ने 6 महीने तक समूह को विधिवत प्रक्रिया अनुसार चलाया जिसकी मॉनीटरिंग से संतुष्ट जिला पंचायत ने इन्हें सर्वप्रथम दस हजार रुपए का ऋण दिया जिससे इन्होंने खुद मालकिन होने के भाव से माल खरीदा और कालीन बुनने के बाद खुद बाजार में स्व-सहायता समूह के नाम से कालीन बेचे। अपने हाथों में आई अपने कुटीर उद्योग की इस ताकत के बाद तो इन महिला श्रमिकों में जीवटता भरे आत्म-विश्वास का संचार हुआ। इन्होंने कालीन का काम इतनी मेहनत से संभाला कि निर्धारित समय में पहला ऋण वापिस कर दिया और फिर 25 हजार का अगला ऋण लेकर अपना कालीन कारोबार बढ़ाया। आज बुनकर समूह की महिलाओं ने न केवल पूरा ऋण चुका दिया है बल्कि इन्होंने सम्मान के साथ अपनी आजीविका चलाते हुए इन्होंने डेढ़ लाख की पूंजी भी समूह के खाते में जमा कर रखी है। पनिहार में इस स्व-सहायता समूह की तरक्की पूरे जिले की महिलाओं को कुटीर उद्योग से आत्मनिर्भरता का संदेश दे रही है। इन मेहनतकश महिला कालीन बुनकरों ने अपनी इस साझी सफलता से बतला दिया है कि महिलाओं को बस मौका दे दीजिए आगे की राह तो वे खुद तय करना जानती हैं।

● **विवेक पाठक**
(लेखक पत्रकार व स्तंभकार हैं)

पनिहार में कालीन बुनकर महिलाओं ने राजीव गांधी वाटरशेड योजना अंतर्गत सफलता से टिकाऊ आजीविका का जरिया स्थापित किया है। हमें खुशी है कि ये महिला बुनकर अब कालीन का कारोबार करके मुनाफे की हकदार हैं और साझी कुटीर इकाई की मालकिन हैं।

नीरज कुमार सिंह
सीईओ, जिला पंचायत, ग्वालियर

पंचायत स्तर तक डे-केयर सेन्टर बनाने का प्रयास

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने 8 नवम्बर को भोपाल में डे-केयर सेंटर के राज्य स्तरीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा है कि वृद्धजनों की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं। वृद्धजन की सेवा ईश्वर की आराधना के समान है। श्री भार्गव डे-केयर सेन्टरों के एक-दिवसीय राज्य-स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वरिष्ठजन का प्रदेश में यह पहला आयोजन अनुकरणीय पहल है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यह पड़ाव आता है। वृद्धजन के मन में कोई कुंठा एवं अकेलेपन का भाव न हो, इसके लिए डे-केयर का नवाचार सेन्टर सार्थक होगा।

श्री भार्गव ने कहा कि डे केयर सेन्टर अब पंचायत स्तर तक बनाने का प्रयास किया जायेगा। इसके लिए सरकार हरसंभव मदद करेगी। वरिष्ठजनों के सम्मान और उनकी जीवन शैली को खुशहाल बनाने के लिए प्रदेश में एक नेटवर्क तैयार करना होगा। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं को मन एवं समर्पण से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि हर धर्म में वृद्धों की सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है।

सामाजिक न्याय मंत्री श्री भार्गव ने प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए उल्लेखनीय कार्य के प्रोजेक्ट जन-संवाद श्रेणी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के श्री कर्मवीर शर्मा एवं अनुभूति अभियान श्रेणी में वयोश्रेष्ठ सम्मान के लिए श्री अनुराग चौधरी सी.ई.ओ. को सम्मानित किया। वरिष्ठ नागरिक संस्था श्रेणी में डे-केयर सेन्टर देवास के डॉ. मनोहर व्ही. भाले को "श्रेष्ठ डे-केयर सेन्टर" के लिए सम्मानित किया गया।

- **वृद्धजनों के लिये पंचायत स्तर तक डे केयर सेंटर स्थापित किये जायेंगे।**
- **वरिष्ठजनों के सम्मान और उनकी जीवन शैली को खुशहाल बनाने के लिए प्रदेश में एक नेटवर्क तैयार किया जायेगा।**
- **प्रशासनिक अधिकारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं को पूरे मन और समर्पण से कार्य करना होगा।**
- **बैतूल डे-केयर सेंटर द्वारा 10 हजार वरिष्ठजन के नेत्रों ऑपरेशन करवाने का सराहनीय कार्य।**

डे-केयर सेन्टर के संचालक/प्रबंधकों को अच्छे संचालन के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत सिंगानामा (होशंगाबाद) एवं शहरी क्षेत्र में अमराई और वरिष्ठ नागरिक परामर्श एवं कल्याण संघ डे-केयर सेन्टर इंदौर को प्रथम पुरस्कार राशि रुपये 31-31 हजार, रंगखोज परिसर सागर और वरिष्ठ नागरिक कल्याण संगठन बैतूल को द्वितीय पुरस्कार राशि 21-21 हजार एवं पंजाबी हिन्दू एसोसिएशन जबलपुर और सेवानिवृत्त एवं पेंशनर नागरिक महासंघ मंदसौर को तृतीय पुरस्कार के रूप में 11-11 हजार की राशि तथा प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री व्ही.जी. धर्माधिकारी ने कहा कि प्रदेश के डे-केयर सेन्टर संस्थाओं के अलग-अलग अनुभव और उनको कार्य में आने वाली समस्याओं एवं सुझावों के लिए यह सम्मेलन किया गया है। उन्होंने बताया कि बैतूल डे-केयर सेन्टर द्वारा 10 हजार वरिष्ठजन के नेत्रों का ऑपरेशन कराने का उल्लेखनीय कार्य किया गया है। सम्मेलन में डॉ. सुभाष शर्मा और होम्योपैथिक, आयुष डॉ. सुनीता तोमर प्रवाचक द्वारा प्रजेंटेशन दिया गया।

वृद्धजनों पर केन्द्रित 'आधार स्तम्भ' प्रदर्शनी

वयोवृद्धों के अनुभव हमें प्रगति की ओर अग्रसर करने में सहायक होते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं जहां वृद्धजनों के अनुभवों से कई परिवारों ने बुलंदियों की ऊंचाई को छुआ है। निश्चित ही ऐसे भी कुछ परिवार हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर होने से अपने परिवार के वृद्धजनों की अच्छी तरह देखभाल नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो अपना मतलब निकलने के बाद उनसे दुर्व्यवहार करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं, जो वृद्धावस्था को घृणा से देखते हुए उन्हें जानबूझकर अपमानित करते हैं। लेकिन ऐसे वृद्धजनों के लिये मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनाओं के तहत सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

वृद्धजन दिवस के अवसर पर टी.टी. नगर कम्युनिटी हाल भोपाल में वृद्धजनों पर केन्द्रित 'आधार स्तम्भ' छायाचित्रों की प्रदर्शनी लगाई गयी। इस प्रदर्शनी में वृद्धजनों की दिनचर्या, उनकी सुख-सुविधा, व्यक्तिगत मनोदशा, समाज में उनका स्थान, शासन स्तर से मिल रहा सहयोग और परिवार में व्यवहार। आदि की वास्तविकता को अपने छायाचित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इन छायाचित्र में वृद्धजनों परिवार का मुखिया और 'आधार स्तम्भ' है।

हम मानते हैं कि वर्तमान में हमारे वृद्धजन के साथ जो व्यवहार किया जाता है, वह बेहद चिंताजनक है। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था को चिन्ताजनक न समझे बल्कि इसे कुदरती नियमों के तहत सामान्य रूप से लेते हुए हर स्थिति में अपने आपको खुशहाल रखने का प्रयास करे।

हमारे वयोवृद्धों के अनुभव हमे प्रगति की ओर अग्रसर करने में सहायक होते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं जहां वृद्धजनों के अनुभवों से कई परिवारों ने बुलंदियों की ऊंचाई को छुआ है। निश्चित ही ऐसे भी कुछ परिवार हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर होने से अपने परिवार के वृद्धजनों की अच्छी तरह देखभाल नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो अपना मतलब निकलने के बाद उनसे दुर्व्यवहार करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं, जो वृद्धावस्था को घृणा से देखते हुए उन्हें जानबूझकर अपमानित करते हैं। लेकिन ऐसे वृद्धजनों के लिये मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनाओं के तहत सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इससे निश्चित ही उनके जीवन में उत्साह आया है।

'आधार स्तंभ' प्रदर्शनी में प्रदर्शित छायाचित्र भोपाल, देवास, इन्दौर, उज्जैन, होशंगाबाद, सिवनी, जबलपुर आदि स्थानों से लिये गये हैं। समाज में आज जरूरत है बुजुर्गों का मनोबल बढ़ाने की, उन्हें सहयोग प्रदान करने की। उनका मान-सम्मान करने की।

इस प्रदर्शनी में मैंने वृद्धों की प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञता, उनके दैनंदिनी कार्य, उनकी इच्छाशक्ति, उनके मन की कल्पना और उनकी अपेक्षा को प्रदर्शित करने का एक प्रयास किया है।

मैंने इसके पूर्व विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगों पर आधारित 'साकार' एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 'दिव्यांग महिलाओं के सपने होंगे सच' छायाचित्रों की भी प्रदर्शनी लगाई गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए फिर अपने वयोवृद्ध पालकगणों की स्थिति आमजन तक पहुँचाने का प्रयास किया है। यह 'आधार स्तम्भ' प्रदर्शनी निश्चित ही समाज में वृद्धजनों का मनोबल बढ़ाने की दिशा में कारगर साबित होगी।

● **शरद श्रीवास्तव**

जिला पंचायत झाबुआ को मिला वयोश्रेष्ठ सम्मान

भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार, वयोश्रेष्ठ सम्मान 2016 के लिए इस बार "वरिष्ठ नागरिकों को सेवाएं तथा सुविधाएं प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिये जिला पंचायत झाबुआ को चयनित किया गया। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को यह सम्मान दिल्ली में आयोजित सम्मान समारोह में प्रदान किया।

वृद्धजनों के लिए ऐसे हुए प्रयास - जिला पंचायत झाबुआ द्वारा जिले में दिव्यांगजनों हेतु माह फरवरी 2016 में दो चरणो में "अनुभूति अभियान" चलाया गया। जिसमें 7972 दिव्यांगजनों का पंजीयन हुआ जिसमें 801 वृद्ध दिव्यांगजन हैं। कुल 83 वृद्ध दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र वितरित किये गये। दिव्यांगजनों के स्वास्थ परीक्षण उपरांत एलिम्को के द्वारा उपकरण वितरित करने हेतु 28 वृद्ध दिव्यांगजनों को चिन्हित किया गया। सभी वृद्धजनों के मेडिकल प्रमाण-पत्र बनाए गए।

जिले में चौपाल बैठक का अभियान चलाकर वृद्धजनों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन, कन्या अभिभावक पेंशन योजनाओं में जोड़कर लाभान्वित किया जा रहा है। शिविर, जनसुनवाई व चौपाल बैठकों में पेंशन हितग्राहियों की समस्याएं सुनना व उनकी शिकायतों का निराकरण किये जाने का काम प्राथमिकता से किया जाता है। जिले में शिविरों में बैंकिंग अधिकारियों एवं कियोस्क संचालक के माध्यम से पेंशन हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान गांव में जाकर किया जा रहा है।

साथ ही हर पंचायत में बैंक प्रतिनिधि की उपस्थिति का दिन नियत किया गया है। बैंकर्स गाँव में जाकर ही हितग्राहियों को राशि का वितरण कर रहे हैं।

- जिले में दिसम्बर 2015 से चौपाल बैठक अभियान में 4581 वृद्धजनों को पेंशन योजनाओं से जोड़ा गया।
- अगस्त 2016 तक 24072 वृद्धजन पेंशनधारियों के समग्र पोर्टल के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर द्वारा खाते खोले गए और पेंशन का भुगतान भी किया गया।

जिला मुख्यालय पर विकलांग एवं पुनर्वास केन्द्र रंगपुरा झाबुआ में वृद्धजनों हेतु फिजियोथैरेपी यूनिट के माध्यम से नियमित रूप से स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जाना व वृद्धजनों को निःशुल्क श्रवण यंत्र व व्हीलचेयर स्टिक, बैसाखी भी आवश्यकतानुसार प्रदान की जा रही है।

वृद्धजनों के लिए आधार वृद्धाश्रम की व्यवस्था - झाबुआ जिले में जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र के माध्यम से निराश्रित, निर्धन, असहाय वृद्धजन हेतु "आधार वृद्धाश्रम" की व्यवस्था भी की गई है।

संपादक जी,

संपादक जी,

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर विशेष अंक को पढ़ा। इस अंक में मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ दी गई हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ-साथ उद्योग के क्षेत्र में भी विकास का रास्ता तय किया है। इन्वेस्टर्स समिट के परिणामस्वरूप जो उद्योग और निवेश मध्यप्रदेश आयेंगे उनमें स्थानीय युवाओं और नागरिकों को रोजगार मिलेगा जो कि प्रशंसनीय प्रयास है।

ब्रजेश रघुवंशी
ग्राम सांईखेड़ा, सिलवानी
जिला रायसेन (म.प्र.)

संपादक जी,

कृषि प्रधान राज्य के रूप में पहचाने जाने वाले मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के सफल आयोजन से निश्चित ही प्रदेश में उद्योगों को बल मिलेगा। आज भी प्रदेश का बड़ा युवा वर्ग उद्योगों के लिए आवश्यक तकनीकी रूप से प्रशिक्षित नहीं है। राज्य सरकार को छोटे-छोटे शहरों और कस्बों तक युवाओं को प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। तभी सही मायनों में प्रदेश का विकास सार्थक होगा।

अनिकेत दुबे
अजयगढ़, जिला दमोह (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश भौगोलिक रूप से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य होने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। देश के बीचों-बीच होने के चलते उद्योग-धंधों के मुफीद भी है। मध्यप्रदेश में आने वाले निवेश और नये उद्योग धंधों में यहाँ के खनिज संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। मध्यप्रदेश सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियाँ बनाई हैं जिसका लाभ प्रदेश को मिलेगा।

तेजस्वी शास्त्री
जिला राजगढ़, तह. नरसिंहगढ़, पोस्ट कुरावर

मध्यप्रदेश पंचायिका ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट विशेषांक में प्रदेश की औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन की जानकारी बेहतर ढंग से दी गई है। मध्यप्रदेश को अपनी भौगोलिक स्थिति का लाभ उद्योगों में मिलेगा। मध्यप्रदेश सड़क रेल और हवाई मार्ग द्वारा पूरे देश से जुड़ा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मेक इन इण्डिया अभियान को सफल बनाने में मेक इन मध्यप्रदेश बड़ी भूमिका निभा रहा है। और ये सब हो रहा है मध्यप्रदेश की निवेश मित्र नीति के कारण।

रानी बघेल
सेमरा, अशोका गार्डन, भोपाल